सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कुचामनसिटी मास्टर प्लान

(2010–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान, सरकार

आभार

कुचामन सिटी के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में कुचामन सिटी के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस प्रगतिशील नगरी के सुनियोजित विकास कार्य में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलेक्टर, नागौर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कुचामनसिटी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान प्रारूप को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी समिति इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होने मास्टर प्लान बनाये जाने में सहयोग प्रदान किया है एवं आशा है कि भविष्य में शहर का विकास मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप करने में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

(दिलीप सिंह बारेठ)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर

आभार

कुचामन सिटी के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में कुचामन सिटी के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस धार्मिक नगरी के सुनियोजित विकास कार्यो में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलेक्टर, नागौर, नगर पालिका, कुचामन सिटी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान के प्रारूप को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया। कुचामन सिटी विकास समिति द्वारा प्रदत्त सहयोग तथा नित्या अरबन स्केप, जयपुर द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान तैयार करने में महत्ती भूमिका रही है, जिनका भी मैं आभारी हूँ।

मास्टर प्लान प्रारूप को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व)
राजस्थान, जयपुर

विषय – सूची

अध्याय क्रम			वषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1-	**परिचय**			1
2-	**विद्यमान विशेषताएं**			3
	2.1		भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	3
	2.2		क्षेत्रीय परिपेक्ष	4
	2.3		ऐतिहासिक	5
	2.4		जनांकिकी	6
	2.5		वाणिज्यिक संरचना	7
	2.6		विद्यमान भू–उपयोग	7
	2.6 (1)		आवासीय	8
		2.6 (1)अ	आवासन	8
		2.6 (1)ब	कच्ची बस्तियां	9
	2.6 (2)		वाणिज्यिक	9
	2.6 (3)		औद्योगिक	10
	2.6 (4)		राजकीय	11
		2.6 (4)अ	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	11
	2.6 (5)		आमोद–प्रमोद	12
		2.6 (5)अ	उद्यान एवं खुले स्थल	12
		2.6 (5)ब	स्टेडियम एवं खेल मैदान	12
		2.6 (5)स	अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजन	12
		2.6 (5)द	मेले एवं पर्यटन सुविधाएं	12
	2.6 (6)		सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	13
		2.6 (6)अ	शैक्षणिक	13
		2.6 (6)ब	चिकित्सा	14
		2.6 (6)स	सामाजिक एवं सांस्कृतिक	15
		2.6 (6)द	धार्मिक ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	15

	2.6 (6)य	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	15
	2.6 (6)र	जनोपयोगी सुविधाएं	16
	2.6 (6)र(i)	जलापूर्ति	16
	2.6 (6)र(ii)	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	17
	2.6 (6)र(iii)	विद्युत	17
	2.6 (6)ल	श्मशान एवं कब्रिस्तान	17
2.6 (7)		परिसंचरण	18
	2.6 (7)अ	यातायात व्यवस्था	18
	2.6 (7)ब	बस तथा ट्रक टर्मिनल	19
	2.6 (7)स	रेल सेवा	20
3.	**नियोजन की संकल्पना**		21
3.1		नियोजन की नीतियां	22
3.2		नियोजन के सिद्धान्त	24
4.	**भावी आकार**		26
4.1		जनांकिकी	26
4.2		वाणिज्यिक संरचना	27
4.3		नगरीय क्षेत्र	28
4.4		नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	28
4.5		योजना क्षेत्र	28
		(अ) पुराना शहर योजना क्षेत्र	29
		(ब) बूडसू रोड योजना क्षेत्र	29
		(स) दक्षिणी–पश्चिमी योजना क्षेत्र	29
		(द) दक्षिणी–पूर्वी योजना क्षेत्र	29
		(य) परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	30
5.	**भू–उपयोग योजना**		31
5.1		आवासीय	32
	5.1 (1)	आवासन	33

5.2			वाणिज्यिक	33
	5.2 (1)		शहरी केन्द्र	33
	5.2 (2)		उप शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	34
	5.2 (4)		थोक व्यापार	34
	5.2 (5)		भण्डारण एवं गोदाम	34
5.3			औद्योगिक	35
5.4			राजकीय	35
	5.4 (1)		सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	35
5.5			आमोद–प्रमोद	35
	5.5 (1)		उद्यान एवं खुले स्थल	35
	5.5 (2)		स्टेडियम एवं खेल मैदान	36
	5.5 (3)		अर्द्ध सार्वजनिक मनोंरजन	36
	5.5 (4)		मेले / पर्यटन सुविधाएं	36
5.6			सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	37
	5.6 (1)		शैक्षणिक	37
	5.6 (2)		चिकित्सा	38
	5.6 (3)		सामाजिक / सांस्कृतिक	38
	5.6 (4)		धार्मिक स्थल / ऐतिहासिक	38
	5.6 (5)		अन्य सामुदायिक सुविधाएं	38
	5.6 (6)		जनोपयोगी सुविधाएं	39
		5.6 (1)अ	जलापूर्ति	39
		5.6 (1)ब	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	39
		5.6 (1)स	विद्युत	40
		5.6(6)द	श्मशान एवं कब्रिस्तान	40
5.7			परिसंचरण	40
	5.7 (1)		प्रस्तावित यातायात संरचना	40
		5.7 (1)अ	सड़कों का मार्गाधिकार	41

5.7 (1)ब सड़कों का वृहदीकरण एवं सुधारीकरण 42
5.7 (1)स चौराहों का सुधार 42
5.7 (1)द पार्किंग व्यवस्था 42
5.7 (2) बस एवं ट्रक टर्मिनल 43
5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी 43
5.8 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र 44
6. योजना का क्रियान्वयन 45
6.1 वर्तमान आधार 45
6.2 प्रस्तावित आधार 46
6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग 46
6.4 भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति 47

परिशिष्टः–

1. (अ) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (मास्टर प्लान) 48
1. (ब) राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम 1962 के उद्धरण 50
2. (अ) राजकीय अधिसूचना दिनांक 13.01.2010 52
2. (ब) राजकीय अधिसूचना दिनांक 31.08.2010 53
3. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन की अधिसूचना दिनांक 01.05.2012 54

तालिका – सूची

तालिका संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
तालिका–1	कुचामन सिटी में जनसंख्या वृद्धि दर–(1921-2001)	6
तालिका–2	वाणिज्यिक संरचना कुचामन–(1991-2001)	7
तालिका–3	विद्यमान भू–उपयोग कुचामन–2010	8
तालिका–4	कुचामन सिटी–कच्ची बस्तियों की सूची (चिन्हित–वर्ष 2004)	9
तालिका–5	औद्योगिक इकाईयां–कुचामन–2010	11
तालिका–6	शैक्षणिक संरचना–कुचामन–2009	13
तालिका–7	विद्यमान चिकित्सा सुविधाएं कुचामन–2009	14
तालिका–8	जलापूर्ति कनेक्शन कुचामन–(2008-09)	16
तालिका–9	विद्युत कनेक्शन एवं उपभोग कुचामन–2009	17
तालिका–10	कुचामन में प्रतिदिन संचालित बसों की संख्या–2009	19
तालिका–11	प्रतिदिन मोटर वाहन यातायात कुचामन–2010	20
तालिका–12	कुचामन सिटी की जनसंख्या का आंकलन–(2001-2031)	26
तालिका–13	वाणिज्यिक संरचना कुचामन–2031	27
तालिका–14	योजना क्षेत्र कुचामन–2031	29
तालिका–15	प्रस्तावित भू–उपयोग योजना, कुचामन–2031	32
तालिका–16	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना कुचामन–2031	37
तालिका–17	सड़कों का मार्गाधिकार, कुचामन–2031	41

1

परिचय

कुचामन सिटी, राजस्थान के पश्चिमी मरूस्थलीय प्रदेश में स्थित है। प्रदेश की राजधानी जयपुर से इसकी दूरी 150 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय नागौर से 85 कि.मी. है। यह नागौर, अजमेर, किशनगढ एवं लाडनूं से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। किशनगढ़–हनुमानगढ़ राज्य राजमार्ग–65 जिसे मेगा हाईवे के नाम से जाना जाता है, यहां से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त फुलेरा–जोधपुर–बीकानेर बड़ी रेलवे लाईन भी यहां से गुजरती है। कुचामन सिटी, रेलवे स्टेशन इसी लाईन पर मुख्य आबादी से 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

कुचामन सिटी एक विकासशील नगर है। यहां जनसंख्या की वृद्धि दर विगत तीन दशकों में अपेक्षाकृत अधिक रही है। नगर के समीप ही नमक की झील होने के कारण नमक एवं रासायनिक उद्योगों की विपुल संभावनाएं हैं। यहां पर कृषि उपज मण्डी है तथा यह क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र है। विगत वर्षों से यह एक प्रमुख शैक्षणिक केन्द्र के रूप में मान्यता पा रहा है। आर्थिक समृद्धि एवं शैक्षणिक सुविधाओं के कारण यहां पर बाहर से लोग निरन्तर आकर बस रहे हैं।

यह सही है कि तीव्र गतिशीलता के कारण कुचामन का चहुँमुखी विकास हो रहा है तथा अनेक उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान शहर में स्थापित हो रहे हैं, परन्तु उसी गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण शहर में अनियंत्रित रूप से आवासीय बस्तियों का बसाव हो रहा है जिसके चलते अनेक कच्ची बस्तियां बस गयी है। सार्वजनिक खुले स्थलों पर अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं तथा सड़कों की चौड़ाई भी प्रभावित हो रही है। सड़कों का अव्यवस्थित जाल होने के कारण यातायात की समस्या विकट हो गयी है। लोगों को रहने के लिये व्यवस्थित आवासों की कमी है तथा सामुदायिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं का अभाव है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुये यह अतिआवश्यक है कि शहर के लिये एक ऐसी योजना बनायी जाये, जिससे वर्तमान समस्याओं का समाधान होने के साथ ही युक्तियुक्त रूप से भावी विकास हो सके। इस दृष्टिकोण से शहर के लिये मास्टर प्लान का बनाया जाना आवश्यक है।

इस मतैक्य से ही राज्य सरकार ने कुचामन सिटी का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दिनांकः 13.01.2010 एवं 31.8.2010 को कुचामन नगरीय क्षेत्र में कुचामन सिटी सहित 14 राजस्व ग्रामों को अधिसूचित कर इस क्षेत्र का मास्टर प्लान

तैयार करने के लिये, राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) को निर्देश दिये हैं।

इसी क्रम में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक की सहायता के लिये राज्य सरकार ने आवास विकास लिमिटेड, जयपुर को मास्टर प्लान बनाने के लिये आउट सोर्ससिंग की व्यवस्था करने का दायित्व निर्धारित किया है। उसकी अनुपालना में आवास विकास लिमिटेड, द्वारा कुचामन सिटी का मास्टर प्लान बनाने के लिये नित्या अरबन स्केप, जयपुर को कार्यादेश दिया गया।

मास्टर प्लान बनाने के लिये नित्या अरबन स्केप, जयपुर द्वारा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, जन–सुविधाओं आदि से सम्बन्धित विभिन्न सर्वेक्षण किये गये एवं इन सर्वेक्षणों तथा आंकड़ों का विवेचन किया गया तत्पश्चात मास्टर प्लान के लिये योजना सिद्धान्तों सहित नीतियों का निर्धारण किया गया। मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 तक की नगर की विभिन्न आवश्यकताओं का, मानक स्तरों को ध्यान में रखते हुये अनुमान, स्थल निर्धारण एवं कुचामन सिटी का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

कुचामन सिटी के नगरीय क्षेत्र के लिये बनांये गये मास्टर प्लान प्रारूप पर आम–जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के अर्न्तगत दिनांक 3.2.2011 को प्रकाशित किया गया एवं 30 दिवस की समयावधि के लियें नगरपालिका कुचामन सिटी में आम–जनता के अवलोकनार्थ एक प्रर्दशनी का आयोजन किया गया। निर्धारित समयावधि में मास्टर प्लान प्रारूप पर कुल 60 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। इन आपत्ति सुझाव पत्रों के अन्तर्गत कुल 64 (बिन्दु) आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए इन प्राप्त सभी आपत्त्यिों/सुझावों का विस्तृत विश्लेषण एवं मौका निरीक्षण किया गया। जॉच के उपरान्त 08 आपत्ति एवं सुझावों की स्वीकृत एवं 01 को आंशिक रूप से स्वीकृत योग्य पाया गया जबकि 07 आपत्तियां एवं सुझाव स्वीकृत योग्य नही पाये गये तथा 48 आपत्ति/सुझाव पर कोई कार्यवाही

अपेक्षित नही है। इस प्रकार कुचामन सिटी मास्टर प्लान–2031 को अंतिम रूप से तैयार कर उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के प्रावधान के अनुसरण में राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(डी. एस. बारेठ)
वरिष्ठ नगर नियोजक
अजमेर जोन अजमेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक : प.10 (182)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 1 मई 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशि**ष्ट–4)**

2

विद्यमान विशेषताएं

2.1 भौगोलिक स्वरूप

कुचामन सिटी 27° 09' उत्तरी अंक्षाश 74° 52' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। राजधानी जयपुर से इसकी दूरी 150 कि.मी., अजमेर से 105 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय नागौर से 85 किलोमीटर है। यह नगर किशनगढ़–हनुमानगढ़ राज्य राजमार्ग–65 (मेगा हाईवे) पर स्थित है। जयपुर नागौर, सीकर, किशनगढ, अजमेर आदि शहरों से यह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। नगर के दक्षिण में 11 कि.मी. की दूरी पर फुलेरा–जोधपुर–बीकानेर रेलवे लाईन पर कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन स्थित है। इस प्रकार कुचामन सिटी, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ जैसे सभी महत्वपूर्ण नगरों से सड़क एवं रेलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।

कुचामन सिटी समतल मैदानी भाग में स्थित हैं परन्तु नगर के उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां छितरे रूप में हैं। नगर के मध्य की समुद्रतल से औसत ऊँचाई 400 मीटर है। उत्तर में एक पहाड़ी पर 550 मीटर की ऊँचाई पर एक किला बना हुआ है। इसी प्रकार एक अन्य पहाड़ी पर प्राचीन गणेश मन्दिर स्थापित है। नगर के दक्षिण–पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है जिसकी ऊँचाई 450 से 550 मीटर तक है। नगर का सामान्य ढाल दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसी दिशा में नमक की एक बड़ी झील फैली हुयी है। शहर के दक्षिण–पश्चिम एवं उत्तर–पूर्व की भूमि पथरीली है तथा पश्चिम की तरफ रेत के टीले हैं। शहर के उत्तर में भूमिगत मीठा जल उपलब्ध होने के कारण यहां कृषि की जाती है।

कुचामन सिटी के समीप कोई नदी नहीं है जिसके माध्यम से पानी का निकास हो सके। यह क्षेत्र अन्तः प्रवाह (Inland Drainage) क्षेत्र है जिसके फलस्वरूप यहां नमक की झील पायी जाती है। आस–पास के नाले भी झील में ही आकर मिलते हैं।

जलवायु

कुचामन सिटी की जलवायु शुष्क हैं जिसमें कम वर्षा एवं अधिक तापमान का प्रभाव रहता है। यहां की औसत वार्षिक वर्षा 468 मिलीमीटर है, परन्तु वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। करीब 90 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर में हो जाती है। कुचामन में मौसम केन्द्र नहीं होने के कारण नागौर जिला मुख्यालय से ही तापमान, वर्षा, वायु दिशा आदि के आंकड़े एकत्र किये गये हैं। मरूस्थलीय स्थिति के अनुरूप ही यहां पर तापमान में भिन्नता पायी जाती है। मई और जून के महीने में दिन का तापमान 40 से 45° एवं रात्री का तापमान 27 से 30° सेन्टीग्रेड़ के बीच रहता है।

जनवरी सबसे ठण्डा महीना है। उस समय दिन का औसत अधिकतम तापमान 22.5^0 सेन्टीग्रेड़ तथा न्यूनतम 6.7^0 सेन्टीग्रेड़ रहता है। रात्री में तापमान कभी–कभी शून्य से भी नीचे चला जाता है।

आर्द्रता का प्रतिशत 25 से 35 के मध्य पाया जाता है। वर्षाकाल में आर्द्रता 50 से 60 प्रतिशत होती है।

मई, जून में यहां पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिनकी गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। शीतकाल में मुख्यतः उत्तर–पश्चिम एवं उत्तर से हवाएं चलती हैं। ग्रीष्मकाल में पश्चिम एवं दक्षिण–पश्चिम से हवाएं चलती हैं।

2.2 क्षेत्रीय परिपेक्ष

कुचामन सिटी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह पूर्व मारवाड़ रियासत के नागौर जिले के दक्षिण–पूर्वी भाग का एक महत्वपूर्ण नगर है। इसके समीप ही नमक की झील है जिसके कारण यह एक नमक उत्पादक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है। कुचामन सिटी प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगर जैसे– अजमेर, नागौर, सुजानगढ़, किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर आदि से सड़क मार्ग में जुड़ा हुआ है। कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन दिल्ली, जयपुर, फुलेरा, मेड़ता, जोधपुर बड़ी रेलवे लाइन मुख्य बसावट से 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

पूर्व में कुचामन, जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था। जागीरदार द्वारा यहां पहाड़ी पर एक किला बनाया गया। यह नगर पूर्व में भी शिक्षा का केन्द्र रहा है तथा यहां पर प्राचीन समय से ही संस्कृत पाठशाला एवं मदरसा स्थापित है। बाद में यहां पर अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। वर्तमान में कुचामन शैक्षणिक केन्द्र के रूप में स्थापित हो चुका है तथा यहां बाहर से आकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अनुमानतः वर्तमान में करीब 25000 विद्यार्थी यहां अध्ययनरत हैं। क्षेत्रीय महत्व के अनेक शैक्षणिक संस्थान जैसे– डाइट, नवोदय विद्यालय, महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेसिक शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, संस्कृत एवं व्याकरण शैक्षणिक संस्थान, महाविद्यालय आदि यहां कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त यहां प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के अनेक गुणवत्ता युक्त विद्यालय स्थापित हैं। इन सभी सुविधाओं के कारण कुचामन सिटी का क्षेत्रीय स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है।

विगत वर्षों में किशनगढ़–हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के निर्माण होने के कारण कुचामन के महत्व में और भी वृद्धि हुई है तथा यहां क्षेत्रीय यातायात सुगम हो गया है। कुचामन का महत्वपूर्ण पक्ष यहां मीठे पानी की उपलब्धि है अतः बाहर से लोग यहां आवास बनाकर रहने लगे हैं। संगमरमर के लिये विश्व प्रसिद्ध मकराना कस्बा यहां से दक्षिण–पश्चिम में करीब 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। कुचामन सिटी में अच्छे वातावरण एवं नागरिक सुविधाओं के कारण मकराना के लोग यहां आवास बनाकर रहना पसन्द करते हैं।

कुचामन सिटी में कृषि उपज मण्डी एवं सब्जी मण्डी है जिसके फलस्वरूप आस–पास के कृषक यहां आते हैं। नगर में अनेक मन्दिर एवं मस्जिद हैं, जिनमें दर्शनार्थी निरन्तर आते रहते हैं।

कुचामन में वाणिज्यिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है तथा शहर में अनेक आधुनिक वाणिज्यिक परिसर स्थापित हो रहे हैं। कुचामन सिटी के किले को देखने के लिये विदेशी पर्यटक भी आते हैं।

उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत कुचामन सिटी का क्षेत्रीय परिपेक्ष काफी विस्तृत है जिसके फलस्वरूप शहर के विकास की विपुल सम्भावना है।

2.3 ऐतिहासिक

मध्यकालीन सामन्ती युग में कुचामन, जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था तथा कुचामन एक छोटी बस्ती के रूप में ही विकसित था, जहाँ पर छितरे रूप में अनेक मन्दिर एवं मस्जिद बने हुये थे। कुचामन सिटी की स्थापना ठाकुर जालिम सिंह द्वारा संवत् 1791 (सन् 1740) में दुर्ग के निर्माण के साथ हुई। ठाकुर जालिम सिंह ने पहाड़ी के ऊपर किले का निर्माण कराया तथा पहाड़ी के नीचे परकोटे में अन्य निर्माण कराये। उन्होने नगर को भी व्यवस्थित रूप से बनाने का प्रयास किया। ठाकुर सूरजमल (सन् 1770-1795) ने अपने कार्यकाल में किले को पुनर्निमाण किया और गुम्बद, दीवानखाना एवं चारभुजा का मन्दिर बनवाया तथा शहर को व्यवस्थित रूप से बसाया। ठाकुर रणजीत सिंह (1835) ने दुर्ग में सभाप्रकाश हॉल बनवाया तथा तालाब के निकट शिकारगाह को विकसित किया।

कुचामन किला 18 बुर्जो से सजा हुआ सुदृढ़ प्राचीर (दीवार), रानिवास, शीशमहल, शस्त्रागार, मन्दिर आदि से युक्त है। किले की दृढ़ता इसी बात से सिद्ध होती है कि आज लगभग दो सौ सत्तर वर्षो के बाद भी यह अडिग रूप से खड़ा है।

प्राचीन काल में नगर का विकास परकोटे तक ही सीमित था एवं पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैला हुआ था। नगर की सड़कें अव्यवस्थित रूप से बनी हुईं थीं तथा उनकी चौड़ाई भी मात्र 8 से 20 फीट तक थी। परकोटे के बाहर विकास छितरे रूप में ही था जैसे– शाकम्भरी माता का मन्दिर, गणेश डूंगरी का मन्दिर, नृसिंह जी का मन्दिर, चारभुजा मन्दिर, रधुनाथ मंदिर, पलटन गेट मस्जिद, जामा मस्जिद आदि।

वर्ष 1875 में कुचामन–फुलेरा रेलवे लाईन आने के बाद कुचामन रेलवे स्टेशन रोड की तरफ परकोटे के बाहर शैक्षणिक संस्थानों एवं आवासीय बस्तियों का विकास हुआ।

इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व कुचामन सिटी का विकास परकोटे तक ही सीमित था, केवल डीडवाना रोड एवं स्टेशन रोड पर कुछ शैक्षणिक संस्थान जैसे– जवाहर स्कूल, बालाजी मन्दिर, संस्कृत विद्यालय, छीपावली मस्जिद एवं मस्जिद लौहारियावान में मदरसा था। कुचामन में ऐंग्लो वर्ना कूलर स्कूल सन् 1922 में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति का अनूठा विद्यालय था। कुचामन के नमक उत्पादक संस्थान भी झील के किनारे तक ही सीमित थे तथा पुरानी पद्धति से ही नमक बनाकर निर्यात करते थे।

स्वतंत्रता के बाद कुचामन सिटी का चहुंमुखी विकास हुआ है। शहर में अनेक शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए, जिनमें प्राथमिक शिक्षक केन्द्र (1953), राजकीय महाविद्यालय (1965),

सोनीदेवी बालिका विद्यालय (1960), महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, टैगोर इन्टरनेशनल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, डाइट आदि महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण अनेक आवासीय कॉलोनियां जैसे– न्यू कॉलोनी, सुरेन्द्र नगर, खातियों का मोहल्ला, गुर्जर कॉलोनी, अयोध्या कॉलोनी आदि का विकास हुआ। वर्तमान में भी कुचामन में कई शैक्षणिक संस्थान एवं नयी आवासीय बस्तियों का विकास हो रहा है। दक्षिण दिशा में किशनगढ़ रोड पर शाकम्भरी माता मन्दिर के पास एक बड़ा शैक्षणिक क्षेत्र विकसित हो रहा है जिसमें महिला प्रशिक्षण विद्यालय, टैगोर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, समाज कल्याण विभाग का छात्रावास आदि अनेक संस्थानों का निर्माण किया गया है। इसी दिशा में अनेक आवासीय कॉलोनियां जैसे– बालाजी कॉलोनी, लक्ष्मी विलास कॉलोनी, करणी नगर, कृष्णा विहार आदि भी विकसित हो रही हैं। पश्चिम दिशा में मेगा हाइवे के निर्माण हो जाने के कारण इस क्षेत्र में भी निर्माण कार्य हो रहे हैं। उत्तर पूर्व में सीकर रोड की तरफ भी विकास कार्य हो रहा है।

उक्त गतिविधियों के फलस्वरूप वर्तमान में कुचामन चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर है।

2.4 जनांकिकी

कुचामन की जनसंख्या वर्ष 1921 में मात्र 8,104 व्यक्ति थी जो 1951 में बढ़कर लगभग 13,745 हो गयी। पिछले तीन दशक में यहां की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई हैं। जनसंख्या की वृद्धि 36 से 48 प्रतिशत के बीच रही है। वर्ष 1971 में यहां की जनसंख्या 18,218 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 50,587 हो गयी। इस प्रकार पिछले 30 वर्ष में जनसंख्या में ढ़ाई गुना से अधिक वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण शहर में बाहर से आने वाले लोगों की अधिकता है। वर्ष 2001 में कुचामन सिटी की कुल आबादी 50,587 व्यक्ति थी। कुचामन सिटी की जनसंख्या वृद्धि दर नीचे तालिका–1 में दर्शायी गयी है:

तालिका–1

कुचामन सिटी में जनसंख्या वृद्धि दर (1921–2001)

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि दर
1921	8,104	-
1931	10,262	26.63
1941	11,653	13.55
1951	13,745	17.95
1961	15,458	12.46
1971	18,218	17.85
1981	26,973	48.06
1991	36,740	36.21
2001	50,587	37.68

(स्त्रोत : जनगणना भारत सरकार, राजस्थान 1991–2001)

2.5 वाणिज्यिक संरचना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुचामन सिटी में कार्यरत व्यक्तियों की सहभागिता का अनुपात 27 प्रतिशत था। यह सहभागिता अनुपात अन्य शहरों की अपेक्षा कम है। वर्ष 2001 की जनगणना में विभिन्न गतिविधियों में कुल 13,626 व्यक्ति कार्यरत थे। वर्ष 1991 में कुचामन में 23.2 प्रतिशत लोग वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे हुये थे, जिससे कुचामन सिटी के एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र होने का प्रमाण मिलता है। करीब 19 प्रतिशत लोग उद्योगों में कार्यरत थे। नमक एवं रासायनिक उद्योग यहा का प्रमुख उद्योग है। कुचामन प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र नहीं होने के कारण केवल 19.7 प्रतिशत लोग ही अन्य सेवाओं में कार्यरत थे। तालिका–2 में वर्ष 1991 व 2001 की वाणिज्यिक संरचना दर्शायी गयी हैः

तालिका–2

वाणिज्यिक संरचना कुचामन–1991-2001

क्र.सं.	**व्यवसाय**	**1991**		**2001**	
		कामगार व्यक्तियों की संख्या	कुल काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत	कामगार व्यक्तियों की संख्या	कुल काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
1	कृषि, खनन एवं सहायक गतिविधियां	2,130	22.9	1,956	14.36
2	घरेलू उद्योग	548	5.9	840	6.17
3	लघु एवं मध्यम एवं बडे उद्योग	1,209	13.0		
4	निर्माण	741	7.9		
5	व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां	2,159	23.2	10830	79.47
6	परिवहन एवं संचार	685	7.4		
7	अन्य सेवाएं	1,830	19.7		
	योग	**9,302**	**100**	**13,626**	**100**

(स्त्रोतः जनगणना भारत सरकार राजस्थान जयपुर 1991 के आधार पर आंकलन)

2.6 विद्यमान भू–उपयोग

कुचामन नगरपालिका का कुल क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 5.96 वर्ग किलोमीटर या 19.2 प्रतिशत क्षेत्र ही नगरीयकृत है। शेष भूमि पहाड़ी, कृषि, जलाशय आदि के अन्तर्गत है। कुल विकसित क्षेत्र का 275 हैक्टेयर या 56.9 प्रतिशत आवासीय उपयोग में आ रहा है। वाणिज्यिक गतिविधियों में 48 हैक्टेयर क्षेत्र है जो विकसित क्षेत्र का 9.9 प्रतिशत है। औद्योगिक क्षेत्र 10.5 हैक्टेयर है, जिसमें मुख्यतः नमक की इकाईयां कार्यरत है। कुचामन में कोई बड़ी औद्योगिक इकाई

नहीं है। यहां पर आमोद–प्रमोद के साधनों की कमी है तथा केवल 2.6 प्रतिशत भूमि ही उद्यान, खेल मैदान आदि मनोरंजन स्थलों के अन्तर्गत है। परिसंचरण के अन्तर्गत 58 हैक्टेयर भूमि है। यहां पर शैक्षणिक संस्थानों एवं मन्दिरों की अधिकता है अतः 14.1 प्रतिशत भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत है। विद्यमान भू–उपयोग 2010 का विवरण तालिका–3 में दर्शाया गया है:

तालिका–3

विद्यमान भू–उपयोग, कुचामन–2010

क्र.सं.	भू–उपयोग	भू–उपयोग (हैक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	275.0	56.9	46.1
2.	वाणिज्यिक	48.0	9.9	8.1
3.	औद्योगिक	10.5	2.2	1.8
4.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	11.0	2.3	1.8
5.	आमोद–प्रमोद	12.5	2.6	2.1
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	68.0	14.1	11.4
7.	परिसंचरण	58.0	12.0	9.7
	विकसित क्षेत्र	**483**	**100**	**81.00**
8.	खुला क्षेत्र	74		12.4
9.	पहाड़ी क्षेत्र	37		6.2
10.	जलाशय आदि	2		0.4
	नगरीयकृत क्षेत्र	**596**		**100**

2.6 (1) आवासीय

2.6 (1)अ आवासन

कुचामन सिटी को 30 वार्डो में विभाजित किया गया है। नगर की आबादी पुराने परकोटे के अन्दर अधिक है। अधिक घनत्व वाले वार्ड 10, 11, 15, 16, 20, 21, 27 है जहाँ पर घनत्व 150 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से 200 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है। यह शहर का पुराना बसा हुआ क्षेत्र है तथा यहीं पर मुख्य बाजार, सब्जी मण्डी, बस स्टैण्ड, नगरपालिका कार्यालय भी स्थित है। मध्यम घनत्व वाले वार्ड 12, 13, 14, 17 और 22 हैं जहाँ घनत्व 100 से 150 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के बीच है। इसमें नयी कॉलोनी, आदर्श नगर, सुरेन्द्र नगर, लुहारों का मौहल्ला, इलाही मौहल्ला, कुमावतों का मौहल्ला एवं किशनगढ़ रोड के दोनों तरफ की बस्तियां हैं। शहर के बाहरी क्षेत्रों में नयी कॉलोनियों का विकास हो रहा है। इन कॉलोनियों में अभी विकास कार्य पूरा नहीं हुआ है तथा घनत्व 50 से 100 के बीच है। आबादी के सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र शहर के बाहरी क्षेत्रों में है। यहां पर घनत्व 50 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से कम है। इसमें वार्ड 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29 एवं 30

सम्मिलित है। इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश भूमि खाली पड़ी हुयी है तथा कृषि भूमि, पहाड़ी आदि हैं।

कुचामन में आवासीय क्षेत्रों की बनावट एवं बसावट में काफी भिन्नता है। पुराना शहर बहुत घना बसा हुआ है तथा सड़कें टेढ़ी–मेढ़ी एवं कम चौड़ाई की है। कहीं–कहीं पर तो इनकी चौड़ाई 5 से 10 फीट तक ही है। यहां पर कुछ पुरानी हवेलियां सहित नये बहुमंजिला भवन भी बने हुए है। नयी आवासीय कॉलोनियों में सड़कें अपेक्षाकृत चौड़ी हैं इनकी चौड़ाई 20 से 40 फीट तक है। परन्तु इनमें सेटबेक नहीं है। निजी कॉलोनियों में सड़कों का अभाव है तथा वे अव्यवस्थित रूप से बसी हुयी हैं जिनमें अधिकांश सड़के कच्ची हैं।

2.6 (1)ब कच्ची बस्तियां

कुचामन सिटी में कुल 9 कच्ची बस्तियां है जिनमें लगभग 14000 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। इन कच्ची बस्तियों में पक्की सड़क, नाली, सीवरेज एवं रोशनी की व्यवस्था नहीं है। शहर के उत्तर में किले के समीप पहाड़ी के ढाल पर कच्ची बस्तियां बसी हुयी हैं। कुछ बस्तियां शहर में उपलब्ध राजकीय भूमि पर अव्यवस्थित रूप से बसी हुयी हैं। शहर के दक्षिणी–पश्चिमी भाग में किशनगढ़ रोड एवं मेगा हाईवे के बीच के भाग में कच्ची बस्तियां विकसित हो रही हैं। नगरपालिका द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास का काम समय–समय पर किया जाता है जिसमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रमुख हैं। परन्तु अभी अधिकांश बस्तियों में इन सुविधाओं का अभाव है। कच्ची बस्तियों का विवरण तालिका–4 में दर्शाया गया है:

तालिका–4

कुचामन सिटी कच्ची बस्तियों की सूची (चिन्हित–वर्ष 2004)

क्र.सं.	कच्ची बस्ती का नाम
1.	मोतीरामजी की कोठी वार्ड नं. 29
2.	प्रेमराजजी का बांसड़ा वार्ड नं. 29, 30
3.	कड़वा का बांसड़ा वार्ड नं. 8
4.	बड़लों की ढाणी वार्ड नं. 6, 7
5.	खान मौहल्ला वार्ड नं. 14
6.	रैगर बस्ती वार्ड नं. 20
7.	मेहरों की ढाणी वार्ड नं. 19, 23, 18
8.	बालाजी की ढाणी वार्ड नं. 6, 7, 9
9.	खटीक बस्ती वार्ड नं. 4, 5

स्त्रोतः नगरपालिका, कुचामन सिटी

2.6 (2) वाणिज्यिक

कुचामन सिटी अपने क्षेत्र का मुख्य वाणिज्यिक नगर है। यहां के शासकों ने राज्य की आय बढ़ाने के लिये बाहर से व्यापारियों एवं कारीगरों को बुलाकर नगर को समृद्ध बनाने का प्रयास

किया। मुख्य व्यापार किले के समीप होता था। यहां की धान मंडी पूर्व में भी प्रसिद्ध थी। उस समय यहां डीडवाना, परबतसर, सीकर, खाटू आदि के व्यापारी ऊँट पर अनाज लाते थे। मुख्य व्यवसाय मांपा वालों की हवेली से पलटन गेट, हलवाईयों की गली तक फैला हुआ था। यहां की घी मंडी भी बहुत प्रसिद्ध थी। इसके अलावा यहां मूंग, ग्वार, मोठ एवं सरसों का भी व्यापार प्रसिद्ध था। वर्ष 1981 में यहां अलग से कृषि मण्डी का निर्माण किया गया जहाँ गेहूँ, चना, ग्वार, मूंगफली, सरसों, मेथी का क्रय–विक्रय होता है। मण्डी में प्रतिवर्ष करीब 6 लाख क्विंटल अनाज का विक्रय होता है जिसका मूल्य लगभग 57.50 करोड रूपये है।

कुचामन का प्राचीन वाणिज्यिक क्षेत्र अभी भी प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में काम कर रहा है। धानमंड़ी, सदर बाजार में यद्यपि सड़कें संकरी हैं परन्तु इन्हीं गलियों में अधिकांश वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं तथा यहां से अन्य दिशाओं को जाने वाली सड़कों पर पंक्तिबद्ध रूप से दुकानें, वाणिज्यिक संस्थान आदि स्थित हैं। सीकर रोड, अजमेर रोड, डीडवाना रोड, हॉस्पिटल रोड पर वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित है।

कुचामन सिटी में कोई उच्च श्रेणी का होटल नहीं है, केवल किले के अन्दर होटल कुचामन फोर्ट है। इसमें सामान्यतः विदेशी पर्यटक ही आते हैं। देशी पर्यटकों एवं सामान्य यात्रियों के लिये राज होटल, राजू होटल, सूर्या होटल, फोर्ट व्यू होटल, रेनबो एवं माया होटल आदि हैं। यहां पर 4 पट्रोल पम्प भी है।

शहर की सब्जी मंडी बस स्टैण्ड के पास है जो बहुत ही व्यस्त स्थल है। यद्यपि सब्जी मंड़ी को कृषि उपज मंड़ी में स्थानान्तरित करने का निर्णय ले लिया गया है, परन्तु अभी इसका स्थानान्तरण होना शेष है। मुख्य व्यवसाय बस स्टैण्ड के पास होने के कारण यहां पर दिनभर यातायात की अवरूद्धता बनी रहती है। इसके समीप कपड़ा बाजार भी है।

2.6 (3) औद्योगिक

कुचामन सिटी औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा हुआ नगर है। रियासत काल में यहां पर लोहे के औजार, हैन्डलूम एवं कपड़ों तथा उनकी रंगाई–छपाई का काम होता था। लोहे के कृषि यंत्र, तलवार एवं अन्य सामान भी बनाये जाते थे। नमक उद्योग यहां पर पुराने समय से ही प्रसिद्ध था। कृषि यंत्र एवं लोहे के अन्य सामान तथा कपड़े के करघा, छपाई आदि घरेलू उद्योग के रूप में प्रचलित था। वर्ष 1991 में यहां पर उद्योगों में काम करने वालों का प्रतिशत 18.9 था। घरेलू उद्योग में वर्ष 1991 में करीब 6 प्रतिशत लोग कार्यरत थे।

उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यमान औद्योगिक इकाईयाँ वर्ष 2010 का विवरण तालिका–5 में दर्शाया गया है:

तालिका–5

औद्योगिक इकाईयां कुचामन–2010

क्र.सं.	उद्योग का नाम	संख्या
1.	तेल मिल, घानी, आटा मिल आदि	11
2.	हैंडलूम कपड़े की बुनाई, दरी बुनाई आदि	16
3.	कपड़े की रंगाई, छपाई आदि	4
4.	चमड़े के जूते	11
5.	प्रिंटिग प्रेस	13
6.	लुहारी, कृषियंत्र, बर्तन आदि	5
7.	नमक उद्योग	10
8.	वर्कशाप	8
9.	अन्य उद्योग	15
	योग	**93**

(स्त्रोतः जिला उद्योग कार्यालय, नागौर)

कुचामन में नमक उद्योग प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है। नमक की झील शहर के दक्षिण में स्थित है। इस झील में कुल 69 इकाईयों को नमक उत्पादन का पट्टा दिया गया है किन्तु यह पंजीकृत उद्योग की श्रेणी में नहीं आते। यहां से करीब 1.2 लाख मैट्रिक टन नमक प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। झील से प्राप्त नमक को कारखानों में निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से आयोडीन युक्त एवं खाने योग्य बनाया जाता है। वर्तमान में ऐसी 10 इकाईयां कार्यरत हैं जिनमें करीब 20,000 मैट्रिक टन शुद्ध नमक तैयार किया जाता है। नमक की उक्त इकाईयां दक्षिण में अजमेर रोड पर केन्द्रित हैं। उक्त इकाईयां खुले या टिन शेड के नीचे स्थित हैं। यहां से तैयार किया गया नमक मालगाड़ी से बाहर भेजा जाता है।

वर्तमान में कुचामन में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, न ही नगर में कोई बड़ा उद्योग है। एक तेल मिल बूडसू रोड पर तथा एक दाल मिल अजमेर रोड पर स्थित है। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

2.6 (4) राजकीय

2.6(4)अ सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

कुचामन पंचायत समिति मुख्यालय है। यहां का जिला मुख्यालय, नागौर एवं तहसील मुख्यालय नावां है। यहां के मुख्य कार्यालय, उप मण्डल अधिकारी दूरभाष, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरपालिका, उप अधीक्षक पुलिस, जिला पशु अधिकारी, उप जिला कृषि अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग समिति, पंचायत समिति हैं। इन कार्यालयों में करीब 240 लोग कार्यरत हैं। नगरपालिका कार्यालय शहर के मध्य बस स्टैण्ड के पास स्थित है। विद्युत विभाग एवं जलदाय विभाग के कार्यालय उत्तर में डीडवाना रोड एवं बूडसू रोड तथा पंचायत समिति एवं

पुलिस कार्यालय अजमेर रोड पर है। अन्य सभी कार्यालय शहर में विभिन्न भागों में स्थित है।

कुचामन में कोई भी कैन्टोनमेंट या अन्य सरकारी आरक्षित क्षेत्र नहीं हैं।

2.6 (5) आमोद–प्रमोद

वर्तमान में कुचामन में आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत कुल 12.5 हैक्टेयर भूमि विकसित है जो कुल विकसित क्षेत्र का 2.6 प्रतिशत है। इस उपयोग के लिये कम भूमि का होना यहां पर इन साधनों की कमी का होना दर्शाता है।

2.6 (5)अ उद्यान एवं खुले स्थल

कुचामन में केवल बस स्टैण्ड के पास एक सार्वजनिक उद्यान है। इसके अलावा यहां पर अनेक बगीचियां हैं जिनमें बल्दुओं की बगीची, मंगलनाथ की बगीची, धनजी का बाग, रामलला बगीची, भूतनाथ की कोठी, समरे सामार आदि प्रमुख हैं। दक्षिण में अजमेर रोड पर भैरों तालाब, शाकम्बरी मन्दिर, सूर्य मन्दिर, गणेश डूंगरी आदि स्थानों पर भी खुला क्षेत्र है तथा बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं।

2.6 (5)ब स्टेडियम एवं खेल के मैदान

कुचामन में अजमेर रोड पर कोर्ट के पास नये स्टेड़ियम का निर्माण किया गया है जहाँ अभी विकास कार्य लम्बित हैं। कुचामन महाविद्यालय प्रांगण में खेल का मैदान है। कुछ अन्य नव निर्मित शिक्षण संस्थानों जैसे– डाइट, नवोदय विद्यालय, नोवल स्कूल, विकास विद्या मन्दिर, महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि में भी खेल के मैदान के लिये पर्याप्त स्थल उपलब्ध हैं।

2.6 (5)स अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

कुचामन में मनोरंजन हेतु कोई क्लब या संस्था नहीं हैं। यहां पर लायंस क्लब द्वारा नगर के सामाजिक कल्याण हेतु कुछ कार्य किये जाते हैं। इसके अलावा यहां पर कुचामन विकास समिति एक स्वयं सेवी संस्था है, जिसके द्वारा अनेक धार्मिक, योगिक तथा नागरिक जागरूकता हेतु सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। समिति का स्वयं का भवन हैं, जिसके सभाकक्ष में अनेक आयोजन होते हैं। कुचामन में अपने तरह का अनूठा सामाजिक भवन, बिड़ला कल्याण मण्डपम् का निर्माण किया गया है जिसके चारों ओर पार्क विकसित कर इस भवन की शोभा बढ़ायी गयी है। यह भवन शहर में सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये उपयोग में लिया जाता है।

2.6 (5)द मेले एवं पर्यटन सुविधाएं

कुचामन वास्तव में धार्मिक एकता का प्रतीक है। जहाँ हिन्दू, मुस्लिम मिल–जुल कर रहते हैं तथा ईद, मोहर्रम, होली, दीवाली, दशहरा सभी पर्व मिल–जुल कर हर्षोल्लास से मनाते हैं। नगर के सभी क्षेत्रों में मन्दिर एवं मस्जिद बने हुये हैं। यहां पर कुछ मेले विशेष रूप से मनाये जाते हैं। तीज एवं गणगौर का मेला, चारभुजा मन्दिर पर लगता है। बैसाख चतुर्दशी को नृसिंह जी का मेला होता है। हरियाली अमावस्या को भैरव तालाब पर मेला लगता है। जन्माष्टमी पर बिहारी जी के

मन्दिर में एवं हनुमान जयन्ती पर डूंगरी के बालाजी पर मेले का आयोजन होता है। ईद के अवसर पर ईदगाह पर मेला होता है। मुहर्रम पर धूम–धाम से ताजिया निकाले जाते हैं।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 68 हैक्टेयर भूमि आती है जो कुल विकसित क्षेत्र का 14.1 प्रतिशत है इस उपयोग के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं सम्मिलित है।

2.6 (6)अ शैक्षणिक

कुचामन सिटी प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यहां पर सन् 1808 में ही एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गयी थी। इसके साथ ही यहां पर जैन समाज द्वारा गुरूसा पाठशाला एवं छीपा बस्ती में मदरसे की स्थापना की गयी थी। पूर्व स्थापित संस्थाओं में मुख्यतया गुरू शिष्य परम्परा प्रचलित थी। कुचामन में वर्तमान शैक्षणिक विकास की पृष्ठभूमि पर वर्ष 1922 में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना का विशेष महत्व है जिसमें अंग्रेजी, हिन्दी, गणित आदि विषयों की शिक्षा का प्रावधान था। वर्ष 1925 में यहां लड़कियों के लिये विद्यालय खोला गया जो आज काबरा महिला विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद यहां पर अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गयी जिसमें कुचामन महाविद्यालय, सोनी देवी सोमानी विद्यालय, सूरजमल मोमराज विद्यालय, टैगोर विद्यालय, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, नवोदय विद्यालय आई.टी.आई,. विकास विद्या मन्दिर आदि प्रमुख है। वर्तमान में कुचामन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है, जहाँ पर करीब 25,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2009 में यहां पर स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या एवं पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या तालिका–6 में दर्शायी गयी हैः

तालिका–6

शैक्षणिक संरचना कुचामन–2009

क्र.सं	शैक्षणिक स्तर	आयुवर्ग	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की संख्या	कुल पंजीकृत विद्यार्थी	कुल पंजीकृत विद्यार्थियों का प्रतिशत	कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालय में औसत विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	5-10	9,200	4,150	45.1	27	154
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6–8)	11-13	4,950	4,740	95.7	22	215
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9–12)	14-17	5,280	10,880	206.0	15	725
योग	-		**19430**	**19770**	-	**64**	-

(स्त्रोतः कंसलटेंट द्वारा सर्वेक्षण)

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि कुचामन में शैक्षणिक सुविधाएं पर्याप्त है। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की कमी का प्रमुख कारण यहां मुस्लिम आबादी का बाहुल्य है जिनमें अभी भी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता। परन्तु माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बाहरी विद्यार्थियों के आने से उनके पंजीयन का प्रतिशत अधिक है।

कुचामन में उच्च शिक्षा के लिये कुचामन महाविद्यालय है, जहाँ स्नाकोत्तर कक्षाएं भी लगती हैं। छात्राओं के लिये इसी परिसर में अलग महाविद्यालय है। इन महाविद्यालय में करीब 950 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसके अतिरिक्त यहां रियावाला बालिका महाविद्यालय भी स्थापित है। यहां महिला शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, नवोदय विद्यालय, डाइट, आई.टी.आई, एच.पी.काबरा प्रबंधन एवं सूचना प्राद्योगिकी संस्थान, आदि प्रमुख है। अजमेर रोड पर शाकम्भरी माता मन्दिर सड़क पर एक नियोजित शैक्षणिक केन्द्र विकसित हो रहा है जहाँ पर तकनीकी शिक्षा संस्थान, टैगोर तकनीकी संस्थान एच.पी. काबरा सूचना प्राद्योगिकी तकनीकी संस्थान आदि विकसित किये जा रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि कुचामन शैक्षणिक दृष्टि से एक प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित हो चुका है। प्रतिवर्ष नये विद्यालयों के भवनों का निर्माण हो रहा है। यही कारण है कि लोग इसे छोटी काशी के नाम से पुकारने लगे हैं।

2.6 (6)ब चिकित्सा

कुचामन में सरकारी चिकित्सालय शहर के दक्षिण पश्चिम में गौशाला रोड पर स्थित है। यहां सामान्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहर में महिला चिकित्सालय नहीं है। मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में केवल प्रसूति सुविधाएं ही उपलब्ध हैं। शहर में एक आयुर्वेदिक एवं एक होम्योपैथिक औषधालय है। इनके अतिरिक्त यहां 5 निजी चिकित्सा केन्द्र हैं जिनमें सेवा समिति द्वारा संचालित मरूधर अस्पताल, शिव नर्सिग होम एवं प्रतिभा नर्सिग होम, मारवाड़ अस्पताल, रतनलाल सेवा सदन, होम्योपैथिक अस्पताल, मावड़िया अस्पताल, डॉ. पाराशर अस्पताल प्रमुख है। कुचामन सिटी में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विवरण तालिका–7 में दर्शाया गया है:

तालिका–7

विद्यमान चिकित्सा सुविधाएं कुचामन–2009

क्र.सं.	चिकित्सा सुविधा	संख्या	उपलब्ध शैय्या
1.	राजकीय चिकित्सालय	1	50
2.	मात त्व शिशु कल्याण केन्द्र	1	6
3.	राजकीय कल्याण केन्द्र	1	—
4.	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय	1	—
5.	होम्योपैथिक औषधालय	1	—
6.	निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम आदि	5	120
	योग	**10**	**176**

स्त्रोत : नगर पालिका कुचामन सिटी (नागौर)

2.6(6)स सामाजिक एवं सांस्कृतिक

कुचामन में अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं है जो शहर के विभिन्न भागों में स्थित है। प्रमुख संस्थाओं में लांयस क्लब एवं कुचामन विकास समिति है। लायंस क्लब द्वारा सामाजिक कार्य जैसे– चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, प्याऊ, की स्थापना आदि का समय–समय पर आयोजन किया जाता है। कुचामन विकास समिति यहां की मुख्य सामाजिक संस्था है जो कुचामन के अन्य बड़े नगरों में समृद्ध व्यवसायियों के सहयोग से शिक्षा, चिकित्सा, सांस्कृतिक आदि कार्य सम्पन्न करती है। उक्त संस्था द्वारा स्वयं का संचालित विद्यालय एवं सभा भवन है।

2.6(6)द धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

कुचामन सिटी में अनेक मन्दिर, मस्जिद, ऐतिहासिक भवन, हवेलियां आदि स्थित है। कुचामन किला पहाड़ी के ऊपर बसा है। इसे सन् 1727 में जालिम सिंह द्वारा बनवाया गया था। कुचामन दुर्ग 18 बुर्जो सहित सुदृढ़ प्राचीर, शीशमहल, शास्त्रागार, नटवर लाल जी का मन्दिर चांदपोल गेट आदि से सुसज्जित हैं। किले में जाने के लिये पुराना रैम्प बना हुआ है। यह किला पूर्व जागीरदार के अधीन है तथा इसमें विदेशी पर्यटकों के रहने के लिये वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था है।

किले के अतिरिक्त अन्य ऐतिहासिक स्थलों में भैरों तालाब, शाकम्भरी माता मन्दिर, कावर्षि कुण्ड आदि हैं। यहां के मन्दिरों में पहाड़ी पर बना गणेश मन्दिर, नृसिंह जी का मन्दिर, चारभुजा मन्दिर, मदनमोहनजी का मन्दिर, नल के बालाजी का मन्दिर, शाकम्भरी जी का मन्दिर, शिव मन्दिर, बिहारी जी का मन्दिर आदि प्रमुख है। यहां अनेक मस्जिदें हैं जिनमें पलटन गेट मस्जिद, छीपा मोहल्ला एवं लुहारिया मस्जिद प्रमुख हैं।

2.6(6)य अन्य सामुदायिक सुविधाएं

कुमचान शहर में मनोरंजन के लिये दो छविगृह विद्यमान है जिसमें एक बस स्टैण्ड के पास एवं दूसरा अजमेर रोड पर स्थित है। बस स्टैण्ड के पास ही पुस्तकालय भवन एवं नगरपालिका सभा भवन है। सार्वजनिक भवनों में बिड़ला परिवार द्वारा निर्मित सरला बिड़ला कल्याण मण्डपम् एवं बसन्त कुमार बिड़ला कल्याण मण्डपम् प्रमुख हैं। इसके अलावा यहां माहेश्वरी भवन, अग्रवाल भवन, जैन भवन, महावीर भवन, पहाड़िया भवन, पारिक पंचायत भवन, बानूड़ा भवन, कुमावत भवन, खण्डेलवाल भवन, भोमराज धर्मशाला, विप्र समाज भवन, गोदावरी गार्डन आदि भी हैं। शहर में एक मुख्य पोस्ट ऑफिस एवं 6 अन्य छोटे पोस्ट ऑफिस है। शहर में 6 होटल है जहाँ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। कुचामन फोर्ट होटल किले के अन्दर है तथा यहां अधिकतर विदेशी यात्रियों का ही ठहरना होता है। अन्य सभी होटल साधारण स्तर के है। पलटन गेट पर एक मुस्लिम मुसाफिर खाना भी यात्रियों की सुविधा के लिये बना हुआ है।

2.6(6)र जनोपयोगी सुविधाएं

पीने योग्य जल की आपूर्ति, बिजली एवं प्रकाश की व्यवस्था तथा जल–मल निस्तारण की सुविधा नगर के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन सुविधाओं की विद्यमान स्थिति निम्न प्रकार है:

2.6(6)र(i) जलापूर्ति

कुचामन के समीप कोई स्वच्छ जलाशय तथा नदी नहीं हैं। यद्यपि दक्षिण में कुचामन झील है, परन्तु इसका पानी लवणीय होने के कारण पीने योग्य नहीं है। यहां पर पीने के लिये भूमिगत जल स्त्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सौभाग्यवश कुचामन के उत्तर में मीठे भूमिगत जल स्त्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अतः इन्ही स्थानों से ट्यूबवेल द्वारा पानी निकाल कर शहर को पानी दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम में श्रवणपुरा के पास 7, उत्तर पश्चिम में ही पंचवा रोड पर 7, डीडवाना रोड पर 4, दीपपुरा रोड पर 2 एवं खारिया रोड पर 2 ट्यूबवेल लगाये गये हैं। इन सभी कुँओं से 10,000 से 12,000 लीटर प्रति घंटा की दर से प्रतिदिन करीब 4,840 किलो लीटर जलापूर्ति की जा रही है।

ट्यूबवेल से प्राप्त जल को दो हेडवर्क्स में सी0डब्लू0आर0 में संग्रह किया जाता है जो क्रमशः डीडवाना रोड पर 400 कि.ली. एवं पंचवा रोड पर 260 कि.ली की क्षमता के बनाये गये है। शहर में जल वितरण के लिये पहाड़ियों के ऊपर 3 स्टोरेज जलाशय बनाये गये है जिनकी कुल क्षमता 177 किलो लीटर की है। शहर में पानी वितरण के लिये पाईप लाईन की व्यवस्था है। कुल 8,270 कनेक्शन के माध्यम से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है। कुचामन में जलापूर्ति कनेक्शन वर्ष 2009 का विवरण तालिका–8 में दर्शाया गया है:

तालिका–8

जलापूर्ति कनेक्शन कुचामन (2008-09)

क्र.सं.	जलापूर्ति कनेक्शन की किस्म	कनेक्शनों की संख्या
1.	आवासीय	7843
2.	वाणिज्यिक	403
3.	औद्योगिक	24
4.	अन्य	270
	योग	8540

(स्त्रोतः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय कुचामन)

2.6(6)र(ii) जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन

वर्तमान में कुचामन सिटी में सीवरेज व्यवस्था नहीं है। शहर का सामान्य ढ़लान दक्षिण पूर्व की ओर है। अतः शहर का गन्दा पानी एवं वर्षा का जल इसी दिशा में प्रवाहित होता है। कुचामन सिटी का विकास तीव्र गति से हो रहा है तथा अनेक नयी कॉलोनियां बस रही हैं जहाँ पर जल निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण रास्तों एवं सड़कों पर गन्दा पानी भरा रहता है। घरों में मल निस्तारण के लिये सेप्टिक टैंक बने हुये हैं। परन्तु कच्ची बस्तियों में इनकी व्यवस्था नहीं हैं और लोग खुले में शौच जाते हैं।

कचरा प्रबन्धन की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। सड़कों एवं गलियों से कचरा एकत्रित कर नगरपालिका के वाहनों से सड़क के किनारे एवं निचले स्थलों पर फेंक दिया जाता है। घर–घर कचरा एकत्रित करने का दायित्व व्यक्तिगत है तथा नगरपालिका के सफाई कर्मचारी उन्हे गलियों से इकट्ठा करते हैं। मुख्य बाजारों में भी कचरा पात्र नहीं है तथा सड़क के किनारे ही कचरा एकत्रित होता है और जानवरों द्वारा गन्दगी फैलायी जाती है। कुचामन में अभी वैज्ञानिक विधि द्वारा कचरा निष्पादन स्थल का निर्माण नहीं कराया गया है।

2.6(6)र(iii) विद्युत

कुचामन सिटी में विद्युत आपूर्ति डीडवाना रोड स्थित मुख्य ग्रिड स्टेशन से होती है। यह ग्रिड स्टेशन मुख्य विद्युत वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से सूरतगढ़ पावर स्टेशन से बिजली की आपूर्ति होती हैं। शहर में डीडवाना रोड चौराहा के पास छोटा सब स्टेशन है तथा वहीं सहायक अभियंता का कार्यालय भी है। कुचामन सिटी में प्रतिदिन विद्युत उपभोग एवं कनेक्शन का विवरण तालिका–9 में दर्शाया गया हैः

तालिका–9

विद्युत कनेक्शन एवं उपभोग कुचामन–2009

क्र.सं.	मद	कनेक्शन संख्या	प्रतिदिन उपभोग KV
1.	घरेलू	7016	665
2.	वाणिज्यिक	1750	123
3.	औद्योगिक	178	102
4.	सार्वजनिक प्रकाश	48	42
5.	कृषि	290	211
6.	अन्य	62	159
योग		**9344**	**1302**

2.6(6)ल श्मशान एवं कब्रिस्तान

कुचामन सिटी में श्मशान सीकर रोड, डीडवाना रोड, मकराना रोड एवं बूडसू रोड पर स्थित हैं। मुख्य श्मशान सीकर रोड पर है जहाँ छतरियां भी बनी हुयी हैं। उक्त स्थल विकसित क्षेत्र के

बीच में ही स्थित है। शहर में मुस्लिम आबादी की अधिकता के कारण विभिन्न स्थलों पर कब्रिस्तान बने हुये हैं। मुख्य कब्रिस्तान पश्चिम में ईदगाह के पास स्थित है। इसके अलावा उत्तर में सीकर बाईपास रोड पर बहुत बड़े क्षेत्र में कब्रिस्तान है।

2.6(7) परिसंचरण

कुचामन सिटी के क्षेत्रीय परिपेक्ष को देखते हुये यहां यातायात साधनों के सुगमता आवश्यक है। अभी यह शहर रेल, एवं सड़क द्वारा प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है।

2.6(7)अ यातायात व्यवस्था

कुचामन सिटी किशनगढ़–हनुमानगढ़ राजमार्ग–65 जिसे मेगा हाईवे के नाम से जाना जाता है पर स्थित है। यहां से 11 कि.मी. दक्षिण में "कुचामन सिटी स्टेशन" जयपुर–फुलेरा–डेगाना–मेड़ता बड़ी रेलवे लाईन पर बना हुआ है। राज्य राजमार्ग–65, (किशनगढ़ से रतनगढ़) कुचामन सिटी के मध्य से निकलता है। यह सड़क शहर के बीच से होकर डीडवाना जाती है। शहर के अन्दर इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। कुचामन कॉलेज के पास इसकी चौड़ाई 80 फीट से अधिक है। परन्तु आगे जाकर बस स्टैण्ड से पहले 45 फीट एवं उसके आगे 50 फीट तथा उसके बाद विद्युत वितरण निगम कार्यालय के चौराहा से पुनः 80 से 90 फीट चौड़ी है। जलदाय विभाग के आगे यह सड़क 100 फीट से भी अधिक चौड़ी है। दूसरी मुख्य सड़क सीकर रोड है जो बस स्टैण्ड से पूरब की ओर जाती है। बस स्टैण्ड से आगे विनायक काम्पलेक्स चौराहा तक इसकी चौड़ाई 40 फीट एवं आगे जाकर 60 से 70 फीट है। यहां की अन्य मुख्य सड़क बूडसू रोड है जिसकी चौड़ाई भी 60 फीट से 80 फीट के बीच है। उत्तर में सीकर बाईपास के नाम से एक सड़क का निर्माण किया गया है जो डीडवाना रोड को सीकर रोड से जोड़ती है। यह सड़क सीधी न होकर कई मोड बनाती है परन्तु कुछ स्थानों पर इसके किनारे निर्माण हो जाने से इसकी चौड़ाई कम हो गयी है। इस सड़क पर यातायात भार बहुत कम है।

पुराने शहर के अन्दर सड़कों की चौड़ाई काफी कम है। बस स्टैण्ड से किले को जाने वाली सड़क 20 से 30 फीट चौड़ी है परन्तु इसके साथ दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां अधिक संख्या में विद्यमान है। सदर बाजार, पुरानी धान मंड़ी, बालाजी मार्केट आदि क्षेत्र में सड़कें संकरी हो गयी हैं। मुख्य सड़कों के अलावा पुराने शहर में गलियां टेढ़ी–मेढ़ी एवं कम चौड़ी हैं जिनके कारण वाहनों के आवागमन में अवरूद्धता रहती है। इन्ही गलियों में दुकानें भी है। नगर के बाहरी भाग में विकसित कॉलोनियों में सड़क व्यवस्था अपेक्षाकृत ठीक है एव सड़कों की चौड़ाई भी 25 से 40 फीट तक है।

नगर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बस स्टैण्ड पर वाहन मुख्य सड़क पर ही खड़े रहते हैं। नगर के मध्य मुख्य मार्ग होने के कारण इन सड़कों पर यातायात अवरूद्धता एक विकट समस्या है। वर्तमान सब्जी मण्डी के पास सड़क के किनारे ठेले खड़े रहने से आवागमन की समस्या रहती है।

2.6(7)ब बस एवं ट्रक टर्मिनल

वर्तमान में कुचामन से प्रतिदिन लगभग 150 बसें राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा विभिन्न मागों पर संचालित की जाती हैं तथा निजी एजेन्सियों द्वारा भी 98 बसें चलायी जा रही हैं। यहां से संचालित बसों का विवरण तालिका–10 में दर्शाया गया है:

तालिका–10

कुचामन में प्रतिदिन संचालित बसों की संख्या–2009

क्र.सं.	बस मार्ग	प्रतिदिन संचालित बसों की संख्या
(अ.)	**राजकीय बस**	
1.	अजमेर–भीलवाड़ा मार्ग	31
2.	डीडवाना, नागौर, बीकानेर मार्ग	52
3.	सीकर मार्ग	12
4.	जयपुर–नावां मार्ग	34
5.	मकराना बोरावड़ मार्ग	19
	योग	148
(ब.)	**प्राइवेट बस**	
6.	कुचामन–सीकर	36
7.	कुचामन–मकराना	13
8.	कुचामन–जिलिया	10
9.	कुचामन–नावां	6
10.	कुचामन–डीडवाना	7
11.	कुचामन–दाता–रेनवाल–लासता	7
12.	कुचामन–खाटू	16
	योग	**95**

(स्त्रोतः बस स्टैण्ड कुचामन समय सारणी)

कुचामन में वर्तमान बस स्टैण्ड शहर के मध्य अजमेर रोड एवं सीकर रोड के चौराहे पर स्थित है। शहर के तंग भाग में यही एक खुला स्थल है। बस स्टैण्ड के कारण यहां बसों के अलावा अन्य वाहनों की भी पार्किंग रहती है। अतः यहां यातायात अवरूद्धता निरन्तर बनी रहती है। यद्यपि सीकर रोड पर एक प्राइवेट बस स्टैण्ड बना हुआ है। परन्तु वह अभी विकसित नहीं हुआ है तथा वहां सभी प्राइवेट बसें भी नहीं ठहरती है।

कुचामन में कोई ट्रक स्टैण्ड नहीं है तथा भारी वाहन शहर की मुख्य सड़कों से होकर जाते हैं। यद्यपि मेगा हाईवे के निर्माण हो जाने से अजमेर–डीडवाना मार्ग का यातायात बाईपास होकर जाता है। परन्तु किशनगढ़ से सीकर जाने वाले वाहनों को शहर के मध्य से ही होकर जाना पड़ता है। मध्य मार्ग पर पड़ने वाले यातायात भार का विवरण तालिका–11 में दर्शाया गया है:

तालिका–11

प्रतिदिन मोटर वाहन यातायात कुचामन–2010

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	किशनगढ़–कुचामन मार्ग	डीडवाना–कुचामन मार्ग
1.	ट्रैक्टर	22	26
2.	कार, जीप	270	183
3.	लोडिंग टेम्पो	11	15
4.	बस	110	78
5.	ट्रक	348	167
	योग	**761**	**469**

(स्त्रोतः यातायात सर्वेक्षण एवं टोल टैक्स कार्यालय)

2.6(7)स रेल सेवा

कुचामन सिटी का रेलवे स्टेशन शहर से 11 किलोमीटर दक्षिण में है। यहां से फुलेरा–मारवाड़ जंक्शन बड़ी रेलवे लाईन जाती है। दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोलकाता, भोपाल एवं गोहाटी जाने वाली यात्री गाड़ियों का यहां पर ठहराव है। यहां से नमक मालगाड़ी द्वारा बाहर भेजा जाता है। वर्तमान में यहां से प्रतिदिन 16 यात्री गाड़ियों का आवागमन होता है।

कुचामन में हवाई यात्रा की सुविधा नहीं है। यहां हवाई अड्डा अथवा हेलीपैड भी नहीं है। हवाई यात्रा के लिये लोगों को जयपुर जाना पड़ता है।

3

नियोजन की संकल्पना

भू–उपयोग योजना नगर नियोजन की वह संकल्पना है जो शहर की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उसके भावी आकार, स्वरूप, आकृति एवं विकास की तस्वीर प्रस्तुत करती है। सर्वोत्तम नियोजन वह है जो वर्तमान को समायोजित करते हुये भविष्य में शहर के विकास हेतु उचित मार्गदर्शन एवं नीतिगत आलेख प्रस्तुत करे, ताकि नगर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप विकृत न हो और भविष्य के विकास को भी गति मिल सके।

उपरोक्त परिपेक्ष में मास्टर प्लान में सम्पूर्ण नगर के सम्बन्ध में अध्ययन कर उसके सुव्यवस्थित एवं नियोजित विकास के बारे में उचित सुझाव दिये जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के आर्थिक विकास को गति एवं निवासियों को स्वस्थ नगरीय जीवन प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत वर्तमान समस्याओं के निराकरण के साथ ही भविष्य की शहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उचित प्रस्ताव दिये जाते हैं। इस प्रकार मास्टर प्लान, भविष्य में नगर के विकास कार्यो के लिये मार्गदर्शक के रूप में काम करता है।

उपरोक्त क्रम में उल्लेखनीय है कि भू–उपयोग योजना मास्टर प्लान का सबसे प्रमुख यथा आधार दस्तावेज है। मास्टर प्लान के अन्तर्गत बनाये जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज भू–उपयोग योजना को आधार मानते हुये ही तैयार किये जाते हैं। इस दृष्टिकोण से भू–उपयोग योजना अन्य सभी नगरीय योजनाओं की संरचना को निर्देशित करता है। अतः भू–उपयोग योजना तैयार करते समय अनेक विषय वस्तुओं जैसे– परिसंचरण, जल एवं सीवरेज व्यवस्था, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव एवं बेहतर जीवन के प्रमुख वैचारिक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये उनके सांमजस्य से बनाया जाता है, ताकि जब मास्टर प्लान आधारित अन्य नगरीय योजनाओं को तैयार किया जाये तब उनके उद्देश्यों के बीच टकराव न हो एवं भू–उपयोग योजना का क्रियान्वयन बिना किसी क्षति के सुगमता पूर्वक किया जा सके।

कुचामन सिटी का मास्टर प्लान उपरोक्त वैचारिक परिदृष्य एवं अगले बीस वर्ष (2010-2031) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये तैयार किया गया है।

कुचामन सिटी का मास्टर प्लान यहां के नागरिकों की आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुये उनके साथ निरन्तर विचार–विमर्श कर उनके सहयोग से तैयार किया गया है। यह दस्तावेज आने वाले 20 वर्ष (2010-2031) में व्यक्तियों, समूहों एवं राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास के संदर्भ में लिये जाने वाले निर्णयों बाबत मानक स्तर एवं मार्ग प्रदर्शित करेगा।

यह योजना इस शहर के नागरिकों की सामूहिक आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं सपनों की जमीनी रूपरेखा है। आशा की जाती है कि मास्टर प्लान की स्वीकृति के साथ ही कुचामन सिटी में निवेश का माहौल बनेगा, जिसके चलते शहर में सुव्यवस्थित विकास के साथ–साथ अनके नई सुविधाएं, व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर स्थानीय जनता के लिये उपलब्ध हो सकेंगे।

मास्टर प्लान दस्तावेज के अन्तर्गत, मास्टर प्लान में वर्णित विभिन्न प्रस्तावों से सम्बन्धित एक लिखित रिपोर्ट, वर्तमान तथा भविष्य की भू–उपयोग की रूपरेखा के अतिरिक्त मानचित्र प्रमुख रूप से शामिल हैं।

3.1 नियोजन की नीतियां

उपरोक्त वैचारिक पृष्ठभूमि के दृष्टिगत कुचामन का मास्टर प्लान बनाने से पूर्व कुचामन की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उनसे जनित अवसरों एवं उनके द्वारा रेखांकित सीमाओं को समझा गया। इस प्रक्रिया के निष्कर्षो एवं आने वाले 20 वर्षो की आवश्यकताओं के परिपेक्ष में कुचामन सिटी की भू–उपयोग योजना तैयार करने के लिये कुचामन के निवासियों के साथ निरन्तर विचार–विमर्श कर उनके सहयोग से निम्न अनुसार मार्गदर्शक सिद्धान्त तय किये गये हैः–

- **क्षेत्रीय परिपेक्ष में भूमिका**

वर्तमान में कुचामन सिटी जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय श्रेणी का शहर है। कुचामन सिटी के उत्तर–पश्चिम में नागौर, दक्षिण में किशनगढ़, अजमेर एवं पूर्व में क्रमशः जयपुर 125, 105, 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रथम श्रेणी के नगर हैं। वर्तमान जनसंख्या, विकास की गति एवं उसके चारों तरफ स्थित प्रथम श्रेणी के शहरों के प्रभाव को देखते हुये यह अनुभव किया जाता है कि आने वाले 20 वर्षो के पश्चात् भी कुचामन सिटी क्षेत्रीय परिपेक्ष में अपनी वर्तमान भूमिका यथावत बनाये रखेगा तथा भविष्य में भी यह प्रथम श्रेणी के नगर की भूमिका निष्पादित करेगा।

- **आर्थिक उत्प्रेरक तत्व**

अध्ययन के आधार पर निम्न तत्वों को शहर के आर्थिक उत्प्रेरक तत्वों के रूप में चिन्हित किया गया है तथा यह प्रस्ताव दिया गया कि शहर के आर्थिक विकास को इन तत्वों के इर्द–गिर्द ही बुना जायेगाः

– शिक्षा–उद्योग आधारित आर्थिक विकास
– नमक की झील आधारित औद्योगिक विकास
– पर्यटन उद्योग आधारित आर्थिक विकास
– कृषि उद्योग आधारित आर्थिक विकास

- **पर्यावरण संरक्षण तत्व**

पर्यावरण विषय पर चल रही वैश्विक चर्चा पर आधारित निष्कर्षों के चलते कुचामन सिटी के पर्यावण के संरक्षण हेतु निम्न तत्व चिन्हित किये गयेः

- कम से कम भूमि का शहरीकरण के लिये उपयोग किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक भूमि अपने प्राकृतिक स्वरूप में बनी रहे। इस हेतु नगरीय जनसंख्या के घनत्व स्तर को बढ़ाया जायेगा।
- वन एवं परिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जायेगा। यदि इन क्षेत्रों के लिये कोई प्रस्ताव किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्ताव परिस्थितिकी तत्वों से ताल–मेल रखता है तथा परिस्थितिकी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है।
- पर्वतीय क्षेत्र को यथावत रखने का प्रयास किया जायेगा एवं इसमें पर्यावरण सुधार के लिये सघन वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को सुझाव दिये जायेंगे।
- ऐतिहासिक स्मारकों एवं पर्यटन दृष्टि से उपयुक्त स्थलों के संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण का प्रयास बाबत प्रस्ताव दिया जायेगा।
- जलग्रहण क्षेत्र को शहरीकरण के प्रस्ताव से मुक्त रखा जायेगा।
- शहरी स्तर पर जल संग्रहण योजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव होगा।
- भू–उपयोग के सभी प्रस्ताव भौगोलिक संरचना के साथ ताल–मेल पर आधारित होंगे।
- किसी भी नगर में पर्यावरण पर सबसे अधिक दुष्प्रभाव वाहनों से उत्पन्न होने वाली कार्बन गैसों के कारण होता है। अतः कुचामन की परिवहन व्यवस्था पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधारित विकसित की जायेगी, ताकि निजी वाहनों, मोटर गाड़ियों के उपयोग की आवश्यकता को कम किया जा सके।

  साथ ही भू–उपयोग प्रस्तावों का आपस में एवं परिवहन व्यवस्था के साथ इस तरह सामंजस्य निर्धारित किया जायेगा ताकि अधिकांश शहरी सुविधाएं पैदल पहुंच के अन्दर हो।
- शहर के लिये जल–मल निकास, ड्रेनेज एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी तथा नगर के समस्त क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लिया जायेगा ताकि नगरीय जीवन के चलते उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान न हो।

• सर्वजन सुविधा विकास

नगर के अन्दर प्रस्तावित सभी भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं (Social and Physical Infrastructure) की वितरण व्यवस्था इस तरह से तैयार की जायेगी कि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को सभी सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हो सके।

• भौतिक जीवन सुधार

नागरिकों के लिये स्वस्थ जीवन यापन की स्थितियां सुनिश्चित करने के लिये जहाँ उपयुक्त सामाजिक एवं भौतिक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी, वहीं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विपरीत भू–उपयोगों के बीच दूरी बनी रहे ताकि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले भू–उपयोगों के होते हुये भी नागरिक, सुरक्षित बने रहें। इस तरह की दूरी सुनिश्चित करने के लिये यदि आवश्यक हो तो

विपरीत भू–उपयोगों के बीच हरित पट्टी का प्रावधान किया जायेगा।

- **विरासत संरक्षण**

अध्ययन के आधार पर पाया गया कि कुचामन एवं इसके प्रभाव क्षेत्र में अनेक भवन एवं नैसर्गिक महत्व के स्थल स्थित है। अतः यह प्रस्ताव दिया गया कि इस तरह के सभी चिन्हित क्षेत्रों के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना तैयार हो।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

- **आवासीय उपयोग**

– आवासीय योजना की संरचना को डी.एन.ए. / मोलीक्यूलर आधार पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस संरचना में मौहल्ले को डी.एन.ए. / मोलीक्यूलर के समकक्ष माना जायेगा।
– विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के लिये आवासीय घनत्व क्षेत्र में वर्तमान भूमि की किस्म, मूल्य एवं कार्य स्थल की समीपता को ध्यान में रखकर किया जायेगा।
– विभिन्न आवासीय क्षेत्र में विकास के स्वरूप, यथा स्वतंत्र भू–खण्ड, ग्रुप हाऊसिंग आदि पर ध्यान दिया जायेगा।
– शहर को कच्ची बस्तियों से मुक्त बनाने के लिये उपयुक्त प्रस्ताव दिये जायेंगे।

- **वाणिज्यिक उपयोग**

– वाणिज्यिक योजनाएं ट्रांसपोर्ट नोड के ईद–गिर्द विकसित की जायेगी।
– आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थानीय बाजार, शहरी केन्द्र एवं उप शहरी केन्द्र या सेक्टर बाजार प्रस्तावित किये जायेंगे।
– थोक बाजार यथा सम्भव मुख्य सडकों पर ही प्रस्तावित किये जाएंगे।
– भण्ड़ारण स्थल, रेलवे स्टेशन, ट्रक स्टैण्ड आदि को मुख्य सड़कों पर प्रस्तावित किये जाएंगे।
– पूर्णतः वाणिज्यिक उपयोग के साथ–साथ आवश्यकतानुसार मिश्रित भू–उपयोग भी प्रस्तावित किये जाएंगे।

- **औद्योगिक क्षेत्र**

औद्योगिक क्षेत्र का निर्धारण, वायु दिशा एवं उद्योगों के लिये कच्चे माल के आगमन क्षेत्र आदि को ध्यान में रखकर किया जायेगा। यथा सम्भव औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख सड़कों पर ही प्रस्तावित किये जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र दो भागों में विभाजित होंगेः

– लघु एवं मध्यम उद्योग स्थल।
– खनिज एवं उत्खनन क्षेत्र।

- **सरकारी कार्यालय**

भविष्य में आने वाले सरकारी कार्यालयों के लिये विशेष क्षेत्र प्रस्तावित किये जाएंगे जिसमें आवासीय क्षेत्रों से सम्बद्धता का ध्यान रखा जायेगा। ऐसे कार्यालय क्षेत्र भी प्रमुख सड़कों पर प्रस्तावित होंगे।

- **जन सुविधाएं**

वर्ष 2031 की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए जनसुविधाओं की संख्या एवं भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन सुविधाओं को प्रस्तावित भू–उपयोग योजना में प्रस्तावित किया जायेगा। मुख्य जन सुविधाएं निम्न प्रकार से होंगीः

- **शैक्षणिक सुविधाएं**

इसके अन्तर्गत शहरी स्तर पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, वाणिज्यिक संस्थान, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अन्य प्रमुख शैक्षणिक एवं शोध संस्थान प्रस्तावित किये जाएंगे, जबकि जोनल योजना स्तर पर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक एवं नर्सरी स्तर के संस्थान प्रस्तावित किये जाएंगे।

- **चिकित्सा सुविधाएं**

इसके अन्तर्गत चिकित्सालय, औषधालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, विशेष चिकित्सालय प्रस्तावित किये जाएंगे।

- **मनोरंजन सुविधाएं**

मनोरंजन सुविधाएं श्रृंखलाबद्ध ढंग से विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावित की जायेगी, जैसे– क्षेत्रीय उद्यान, सेक्टर उद्यान एवं स्थानीय उद्यान, स्टेडियम, खेल के मैदान, मेला मैदान, पर्यटन सुविधाएं, आदि।

सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्मारक एवं स्थलों को भी उपलब्धता के अनुसार विकसित किये जाने का प्रस्ताव दिया जायेगा।

- **अन्य सुविधाएं**

जैसे– ग्रिड स्टेशन, पम्प हाउस, टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि को भी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावित किया जायेगा।

- **अन्य भूमि उपयोग**

उपरोक्त भू–उपयोगों के अतिरिक्त अन्य भू–उपयोग जैसे– नर्सरी, उद्यान, डेयरी, वृक्षारोपण, वन, उपजाऊ कृषि भूमि, जलाशय आदि भू–उपयोग योजना में दर्शायी जायेगी।

4

भावी आकार

4.1 जनांकिकी

वर्ष 1961 से 2001 तक पिछले 40 वर्षो में कुचामन की जनसंख्या 15,458 से 3½ गुणा के लगभग बढ़कर 50,587 हो गयी जो द्रुत विकास का प्रमाण है। पिछले 3 दशकों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई तथा वृद्धि दर 36 से 48 प्रतिशत के बीच रही। इस समय में कुचामन में अनेक नये शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुयी तथा नई कॉलोनियों का भी विकास हुआ।

पिछले तीन दशकों में कुचामन सिटी में अप्रवास की दर 16 से 25 प्रतिशत रही है। कुचामन एक तीव्र विकासोन्मुखी शहर है एवं भविष्य में भी इसके विकास की विपुल संभावनाएं हैं। अतः यहां पर अप्रवासन अगले तीन दशकों में भी 20 से 25 प्रतिशत के बीच में ही रहने की संभावना है। आगामी बीस वर्ष की जनसंख्या का आंकलन जन्म दर एवं मृत्यु दर के अन्तर एवं भविष्य में अनुमानित अप्रवास को दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। उक्त अनुमान के अनुसार कुचामन की जनसंख्या वर्ष 2031 में लगभग 1,35,000 हो जायेगी। जनसंख्या का आंकलन अन्य सांख्यिकीय विधियों द्वारा तालिका–12 में प्रदर्शित है:

तालिका–12

कुचामन सिटी की जनसंख्या का आंकलन–(2001–2031)

क्र.सं.	आंकलन विधि	जनसंख्या			
		2001	2011	2021	2031
1-	ज्यामितीय वृद्धि दर (Geometric Growth Rate)	50,507	71,000	99,640	1,39,800
2-	एक्सपोनेंसियल कर्व (Exponential method)	50,587	71,830	1,00,640	1,41,000
3-	ग्रोथ कर्व (Growth Method)	50,587	70,540	98,400	1,36,620
4-	जन्म मृत्यु दर–आब्रजन (Component method)	50,587	70,800	98,410	1,35,200

उक्त विधियों द्वारा वर्ष 2031 में कुचामन की जनसंख्या 1.35 लाख से 1.41 लाख के बीच अनुमानित है। परन्तु कम्पोनेंट वृद्धि दर को अधिक उपयुक्त मानते हुये वर्ष 2031 के लिये कुचामन की जनसंख्या 1,35,000 मानना अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार भविष्य में कुचामन की जनसंख्या वर्ष

2011 में 70,800, वर्ष 2021 में 98,410 एवं वर्ष 2031 में 1,35,000 होने का अनुमान है इन दशकों में वृद्धि दर क्रमशः 40 प्रतिशत, 39 प्रतिशत एवं 37.2 प्रतिशत होगी।

4.2 वाणिज्यिक संरचना

कुचामन की क्षितिज वर्ष के लिये वाणिज्यिक संरचना विगत वर्षो की प्रवृतियां, नगर की वाणिज्यिक आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों के विकास की सम्भावनाओं के आधार पर अनुमानित की गयी है। वर्ष 1971 में कुचामन में कार्यरत व्यक्तियों की भागीदारी का अनुपात 22.8 प्रतिशत था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 25.5 प्रतिशत एवं 2001 में 26.9 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार कुचामन में कार्यरत जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसका मुख्य कारण यहां पर शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों में अधिक रोजगार उपलब्ध होना रहा है। भविष्य में भी यहां रोजगार बढ़ने की सम्भावना है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक यहां पर कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात 30 प्रतिशत के करीब होना अनुमानित है।

कुचामन में पूर्व में घरेलू उद्योग के रूप में सूत एवं दरी बुनने के करघे, लोहे के औजार, कृषि–यंत्र, रंगाई, छपाई का काम होता था। वर्ष 1971 में लगभग 21 प्रतिशत लोग घरेलू उद्योगों में कार्यरत थे परन्तु आवश्यक सरकारी संरक्षण एवं बिक्री के उचित बाजार के अभाव के कारण इन उद्योगों में कमी आ गयी तथा अधिकतर लोग जिसमें मुस्लिम कारीगरों की अधिकता थी, बाहर अरब देशों में चले गये। वर्ष 2001 में केवल 6 प्रतिशत लोग ही घरेलू उद्योगों मे काम कर रहे थे। कुचामन में मध्यम एवं बड़े उद्योगों की कमी है। बिजली– घर के पास स्थित पुरानी दाल मिल अब बन्द है। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है अतः भविष्य में यहां औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है। कुचामन पूर्व से ही अपने क्षेत्र का एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र रहा है तथा वर्ष 1991 में यहांपर 23.2 प्रतिशत लोग व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यरत थे। मेगा हाईवे के निर्माण होने के कारण यहां पर परिवहन में भी काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। कुचामन सिटी की वर्ष 2031 की अनुमानित वाणिज्यिक संरचना का विवरण तालिका–13 में दर्शायी गयी है:

तालिका–13

वाणिज्यिक संरचना कुचामन–2031

क्र.सं.	व्यवसाय	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि, खनन एवं सहायक गतिविधियाँ	2230	5.5
2.	उद्योग	9115	22.5
3.	निर्माण	2630	6.5
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	10125	25.0
5.	परिवहन एवं संचार	4250	10.5
6.	अन्य सेवाएँ	12150	30.0
	योग	**40500**	**100.00**

(सहभागिता अनुपात 30 प्रतिशत)

4.3 नगरीय क्षेत्र

कुचामन का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत कुचामन सहित 14 राजस्व ग्रामों को कुचामन के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुये अधिसूचित किया गया है जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9,380 हैक्टेयर है। नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित ग्रामों की सूची परिशिष्ट–2 अ एवं ब पर दी गयी है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

क्षितिज वर्ष 2031 में कुचामन सिटी की जनसंख्या 1,35,000 होने का अनुमान है। वर्ष 2010 में यहां की अनुमानित जनसंख्या करीब 67,300 है अतः वर्ष 2031 तक कुचामन में 67,700 अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान जनसंख्या के लिये भी आवश्यक सुविधाओं जैसे– आवास, जनसुविधाएं आदि की कमी को पूरा करना आवश्यक है। इस प्रकार भविष्य में करीब 78,000 व्यक्तियों के लिये रहने, कार्यस्थल, आमोद–प्रमोद एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्रावधान किया जाना आवश्यक रहेगा।

कुचामन के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के विस्तार की सम्भावनाओं का निर्धारण यहां के अवरोधक एवं प्रेरक तत्वों को ध्यान में रखकर किया गया है।

दक्षिण की ओर नगर से केवल 11 कि.मी. की दूरी पर रेलवे स्टेशन स्थित है तथा वर्तमान विकसित क्षेत्र और रेलवे स्टेशन के बीच की तमाम भूमि रिक्त पड़ी है। इसी तरफ नया शैक्षणिक संस्थानिक क्षेत्र भी विकसित हो रहा है। दक्षिण की तरफ का यह क्षेत्र भी भविष्य के शहरी विकास के लिये उपयुक्त है।

पश्चिम की तरफ नवनिर्मित बाईपास एवं शहर के बीच का क्षेत्र समतल एवं वर्तमान विकसित शहरी क्षेत्र से लगा हुआ है तथा इस क्षेत्र में निर्माण हो रहा है तथापि काफी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में भूमि रिक्त है। अतः यह भूमि शहरी विकास के लिये पूरी तरह उचित है एवं उपयुक्त है।

4.5 योजना क्षेत्र

शहर के भावी विकास को योजनाबद्ध रूप से विकास करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र को 5 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऐसा निर्णय करते समय विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रमुख निर्माण एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को घ्यान में रखा गया है। रोजगार, आवास, वाणिज्यिक, सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से प्रत्येक योजना क्षेत्र यथा सम्भव आत्मनिर्भर ईकाई के रूप में होंगे। विस्तृत योजना बनाते समय इन योजना क्षेत्रों को छोटे–छोटे उप क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा। इन सभी 5 योजना क्षेत्रों का नाम एवं क्षेत्रफल निम्न तालिका–14 में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका–14

योजना क्षेत्र, कुचामन–2031

क्र.सं.	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर
अ.	पुराना शहर योजना क्षेत्र	275
ब.	बूडसू रोड योजना क्षेत्र	460
स.	दक्षिणी–पश्चिमी योजना क्षेत्र	546
द.	दक्षिणी–पूर्वी योजना क्षेत्र	746
	नगरीकरण योग्य क्षेत्र	**2027**
य.	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	7353
	कुल नगरीय क्षेत्र	**9380**

अ. पुराना शहर योजना क्षेत्र

उक्त क्षेत्र दक्षिण पूर्व में सीकर रोड, पश्चिम में डीडवाना रोड एवं उत्तर में सीकर बाईपास रोड तक विस्तृत है। वर्तमान में शहर की मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियां इसी क्षेत्र में विद्यमान है। भविष्य में भी यह शहर का मुख्य केन्द्र बना रहेगा। प्रमुख बाजारों के अलावा इस क्षेत्र में कुचामन का किला भी स्थित है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल करीब 275 हैक्टेयर है।

ब. बूडसू रोड योजना क्षेत्र

यह क्षेत्र पूर्व में डीडवाना रोड एवं दक्षिण में टोरड़ा रोड एवं पश्चिम में मेगा हाईवे के बीच स्थित है। वर्तमान में यहां पर काफी क्षेत्र खुला पड़ा है परन्तु अपनी स्थिति के कारण भविष्य में इस क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी, राजकीय चिकित्सालय, ग्रिड सब स्टेशन आदि स्थित हैं। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल करीब 460 हैक्टेयर है। भविष्य में यहां पर आवासीय, वाणिज्यिक एवं जन सुविधाओं के लिये पर्याप्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

स. दक्षिणी–पश्चिमी योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र के पूर्व में किशनगढ़ रोड, पश्चिम में मेगा हाईवे, उत्तर में टोरड़ा रोड एवं दक्षिण में डाइट एवं अन्य सभी क्षेत्र सम्मिलित है। इसी क्षेत्र में ट्रक स्टैण्ड, डाइट क्षेत्रीय पार्क एवं अन्य क्षेत्र शामिल है। दक्षिण में मेगा हाईवे तथा किशनगढ़ रोड के कारण इस क्षेत्र का त्वरित विकास होने की सम्भावना है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 546 हैक्टेयर है।

द. दक्षिणी–पूर्वी योजना क्षेत्र

कुचामन के दक्षिण में नमक की झील के कारण इस तरफ विकास सीमित होने की सम्भावना है। कुचामन में यातायात की प्रमुख समस्या किशनगढ़ रोड से सीकर रोड को सीधी सड़क द्वारा जोड़ना है, जिससे दक्षिण से आने वाले सभी वाहन सीधे सीकर की तरफ चले जाये। इसी उद्देश्य से एक बाईपास रोड प्रस्तावित है, जिससे किशनगढ़ रोड से सीकर रोड को सीधा सम्पर्क हो जायेगा। नगरपालिका द्वारा खारड़ा के उत्तर में स्थित राजकीय भूमि उपलब्ध है जहाँ पर शहरी स्तर की सुविधाएं जैसे– चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक सुविधाएं

विकसित करने का प्रस्ताव है। इस योजना क्षेत्र में दक्षिण की तरफ मेगा हाईवे के पूरब की तरफ का शैक्षणिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं शाकम्भरी पहाड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 746 हैक्टेयर है।

य. परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र

नगरीय क्षेत्र के संगठित विकास के लिये प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ परिधि नियंत्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में कृषि एवं तत्सम्बन्धित व्यवसाय जैसे– डेयरी, मुर्गीपालन, गौशाला, पौद्यशाला, बागान आदि विकसित किये जा सकेंगे। परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र में अन्य गतिविधियां भी राज्य सरकार के निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रम में अनुज्ञेय होगी। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण अधिवास के विस्तार के लिये आवश्यक योजना बनाकर तकनीकी अनुमोदन के बाद विकास किया जा सकेगा।

5

भू–उपयोग योजना

कुचामन सिटी के मास्टर प्लान के लिये आधारभूत सूचनाएं विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण एवं अध्ययन द्वारा तथा विकास पद्धति, दिशा एवं वृद्धि दर, आर्थिक संरचना, सड़क यातायात एवं भूमि उपलब्धता आदि का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा इसको आधार मानकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उक्त अध्ययन मास्टर प्लान को आधारभूत ढाँचा प्रदान करते हैं। जिन मानदण्ड़ों के आधार पर प्लान तैयार किया गया है, उनको शहर के भावी विकास के सन्दर्भ में मूल्यांकित किया गया है। प्रस्तावित विकास, "प्रस्तावित भू–उपयोग योजना 2031" में उद्धरित है। प्लान के लिये आधार वर्ष 2010 एवं क्षितिज वर्ष 2031 है। कुचामन सिटी की प्रस्तावित भू–उपयोग योजना सम्पूर्ण शहरी समस्याओं के उचित निवारण करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्लान का उद्देश्य कुचामन सिटी के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र को सतुंलित एवं एकीकृत रूप से विकसित किया जाना है, साथ ही नगर की भावी वृद्धि की दिशा निर्धारित करना है। इसके लिये शहरवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

वर्ष 2031 के लिये प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु कुल 1919.47 हैक्टेयर भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें से आवासीय प्रयोजनार्थ 1047.71 हैक्टेयर क्षेत्र रखा गया है, जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 54.58 प्रतिशत है, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र 4.23 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र 1.04 प्रतिशत, राजकीय 1.61 प्रतिशत, आमोद–प्रमोद 12.87 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु 12.54 प्रतिशत क्षेत्र तथा परिसंचरण उपयोग हेतु 13.13 प्रतिशत क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है।

कृषि व जलाशय क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 2016 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण तालिका–15 में दर्शाया गया है:

तालिका–15

प्रस्तावित भू–उपयोग योजना, कुचामन–2031

क्र. सं.	श्रेणी	भू–उपयोग (हैक्टेयर में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	1047.71	54.20	51.97
2.	वाणिज्यिक	81.11	4.23	4.02
3.	औद्योगिक	20	1.04	0.99
4.	राजकीय	31	1.61	1.54
5.	आमोद–प्रमोद	247	12.87	12.25
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	240.65	12.54	11.94
7.	परिसंचरण	252	13.13	12.50
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	**1919.47**	**100**	**95.21**
8.	प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र	93.53	-	4.64
9.	जलाशय	3	-	0.15
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**2016**		**100**

5.1 आवासीय

भू–उपयोग प्रस्तावों में लगभग 50 प्रतिशत भाग आवासीय भू–उपयोग का होता है। इस दृष्टिकोण से आवासीय योजना के प्रस्ताव, संरचना की विद्या इत्यादि शहरी जीवन स्तर की सफलता को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। अतः भू–उपयोग योजना प्रस्ताव में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का विशेष ध्यान रखा गया है साथ ही मार्गदर्शक सिद्धान्तों में वर्णित सामाजिक समता के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये, कुचामन सिटी में सभी आर्थिक वर्गो को, उनके आर्थिक स्तर के अनुसार आवासीय उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, कच्ची बस्तियों में रहने वाले, इनफौर्मल सेक्टर के शहरी लोगों का विशेष ध्यान रखते हुये कार्य स्थलों के पास उनके लिये विशेष क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं।

कुचामन के लिये प्रस्तावित कुल 1919.47 हैक्टेयर विकास योग्य क्षेत्र में से 54.58 प्रतिशत यथा 1047.71 हैक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग के लिये निर्धारित की गयी है। नगर की समस्त आबादी की बसावट आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये तीन घनत्व श्रेणियों यथा 50-100,101-150 एवं 151-200 व्यक्ति प्रति एकड़ के स्तर पर बसाया जाना प्रस्तावित है। सामान्य रूप से शहर के केन्द्रीय क्षेत्रों, कार्य स्थलों से निकट लगते हुये क्षेत्रों एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरिडोर के साथ लगते हुए क्षेत्रों में आबादी का घनत्व अधिक रखा गया है। इस क्रम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरिडोर के साथ लगते हुए क्षेत्र में मानचित्र में दर्शाये अनुसार ग्रुप

हाऊसिंग विकसित किया जाना प्रस्तावित है। जबकि केन्द्र से दूर बढ़ते क्षेत्रों में घनत्व को क्रमशः कम रखा गया है। केन्द्र एवं कार्य क्षेत्रों के पास लगते हुये क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं इनफौर्मल सेक्टर तथा दूर के क्षेत्रों में आर्थिक रूप से सम्पन्न शहरी लोगों को बसाया जाना प्रस्तावित है।

5.1(1) आवासन

आवासीय क्षेत्रों के विकास की कल्पना आणविक सरंचना (DNA) के समानान्तर सोची गयी है। भारतीय सभ्यता में वर्षो से चली आ रही मौहल्ले की कल्पना को आवासीय क्षेत्र का मूल आणविक घटक माना गया है। यह कल्पना की गयी है कि एक मौहल्ले में 4,000-5,000 व्यक्ति निवास करेंगे, ताकि भारतीय सभ्यता के अनुकूल उनमें परस्पर आत्मीयता बनी रहे। प्रत्येक मौहल्ले का केन्द्र एक सांझी सुविधा केन्द्र होगा, जिसमें बच्चों के खेलने के लिये एक उद्यान, कुछ खुदरा दुकानें, एक सामुदायिक स्थल होंगे।

इस तरह से चार इकाइयों को मिलाकर एक सेक्टर की कल्पना की गयी है, जिसमें 16,000-20,000 तक व्यक्ति निवास करेंगे। सेक्टर में मौहल्ले स्तर से उच्चतर स्तर की सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा।

कच्ची बस्तियां

नगरपालिका द्वारा वर्ष 2004 तक शहर में 9 कच्ची बस्तियां चिन्हित की गयी है, केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार सभी शहरों को कच्ची बस्तियों से पूरी तरह मुक्त कराया जाना है अतः कुचामन सिटी की कच्ची बस्तियों बाबत केन्द्रीय/ राज्य सरकार की ॲफोर्डेबल हाउसिंग नीति 2009 के अनुसार कच्ची बस्ती मुक्ति कार्यक्रम हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

इसी क्रम में मेगा हाईवे के पास हनुमान पुरा रोड़ पर 28 एकड़ क्षेत्र में एक ॲफोर्डेबल हाउसिंग की योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस योजना के क्षेत्र को प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में दर्शाया गया है।

5.2 वाणिज्यिक

अपनी क्षेत्रीय स्थिति के कारण कुचामन आस–पास के क्षेत्रों के लिये प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। शैक्षणिक, नमक उद्योग, मेगा हाईवे के कारण यहां पर वाणिज्यिक गतिविधियों में ओर वृद्धि होगी। वर्ष 2031 में कुल कार्यरत व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यरत होंगे। मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों को विभिन्न स्तरों पर नगरीय क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है जिससे लोगों को अपने निवास स्थल के समीप ही उक्त सुविधाएं मिल सकें।

5.2(1) शहरी केन्द्र

वर्तमान में कुचामन गढ़ के साथ लगते हुये क्षेत्र में विकसित बाजार शहर के वाणिज्यिक केन्द्र की भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र में खुदरा, थोक, भण्डारण जैसी सभी गतिविधियां केन्द्रित है।

इसी क्षेत्र में बस स्टैण्ड, होटल, रेस्टोरेंट, हार्डवेयर, मशीनरी, इमारती सामान, सब्जी मण्डी आदि स्थित हैं। इन गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र दिन में बहुत व्यस्त रहता है तथा लोगों एवं वाहनों की भीड़ के कारण वर्तमान परिस्थितियों में यह असुविधाजनक हो गया है।

इस क्षेत्र का पुर्नर्निमाण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित पुर्नर्निमाण योजना के तहत (i) वर्तमान बस स्टैण्ड (ii) सब्जी मण्ड़ी (iii) थोक व्यापार केन्द्रों को यहां से हटाकर अन्य स्थानों, जिन्हें आज के मानक स्तरों पर विकसित किया जायेगा, स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस तरह से उपलब्ध रिक्त भूमि में एक आधुनिक सिटी स्कवायर विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मार्गो से अतिक्रमण हटाना, चौराहों की ज्यामिती ठीक करना जैसे कार्यों का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में भूमिगत पार्किग की भी व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही नमक की झील के उत्तर में प्रस्तावित बाईपास से लगते हुए 10 हैक्टेयर के क्षेत्र में एक नये शहरी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

5.2(2) उप शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां

शहरी केन्द्र के अतिरिक्त उप सामुदायिक केन्द्र, फुटकर व्यापार एवं सामान्य वाणिज्यिक, होटल इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियों को सुविधा एवं तीव्र गति से पहुंच की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूरे शहर में समान रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरिडोर के साथ भू–उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

5.2(3) थोक व्यापार

कुचामन में कृषि उपज मण्डी बनी हुई है, जिसमें भविष्य में भी इस कार्य हेतु स्थल उपलब्ध है। सब्जी मण्डी भी इसी में स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में शहर के पुराने शहरी क्षेत्र में स्थित सभी थोक व्यापार गतिविधियां जैसे– इमारती सामान, हार्डवेयर, मशीनरी आदि को इस क्षेत्र में पुनर्स्थापित किया जाना एवं नयी उत्पन्न होने वाली समस्त थोक व्यापार गतिविधियों को इस क्षेत्र में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.2(4) भण्डारण एवं गोदाम

भण्डारण एवं गोदाम हेतु शहरी स्तर पर 2 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव मानचित्र पर दर्शाये अनुसार (1) पश्चिमी मेगा हाईवे पर कुल 10 हैक्टेयर (2) पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरिडोर पर 5 हैक्टेयर दिया गया है। वर्तमान में शहर के पुराने शहरी क्षेत्र में स्थित सभी भण्डारण एवं गोदाम गतिविधियों को इस क्षेत्र में पुनर्स्थापित किया जाना एवं नई उत्पन्न होने वाली समस्त भण्डारण एवं गोदाम गतिविधियों को इस क्षेत्र में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

कुचामन सिटी में विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के तहत क्षितिज वर्ष 2031 तक 10,125 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की सम्भावना है। सभी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये कुल 81.11 हैक्टेयर भूमि मास्टर प्लान में प्रस्तावित की गयी है।

5.3 औद्योगिक

कुचामन सिटी में अभी तक मुख्यतः नमक आधारित उद्योग ही विकसित हुए हैं। यह सम्भावना है कि आने वाले समय में अन्य स्त्रोतों पर आधारित उद्योग भी इस शहर में धीरे–धीरे विकसित होंगे। इस क्रम में रीको के द्वारा नमक की झील के दक्षिण में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना विचाराधीन है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर प्लान में नमक की झील के दक्षिण में वर्तमान में विचाराधीन औद्योगिक क्षेत्र को समायोजित करते हुए कुचामन सिटी में औद्योगिक विकास के लिए मास्टर प्लान में 20 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

कुचामन सिटी में नमक की झील पर आधारित उद्योगों के अन्तर्गत 10 इकाईयां कार्यरत है, जिनमें लगभग 70 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथापि ये औद्योगिक गतिविधियों शहर की मुख्य सड़क (स्टेशन रोड) पर शहर के केन्द्र में स्थित हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि वर्तमान लोकेशन औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त नही है, वर्तमान औद्योगिक गतिविधियों को नये प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव किया गया है।

5.4 राजकीय

5.4(1) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय

कुचामन स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय पूरे शहर में छितरे हुये है, जिसके चलते शहर वासियों को सरकारी कार्य हेतु अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है। प्रस्तावित भू–उपयोग योजना में प्रस्तावित सीकर बाईपास रोड पर करीब 31 हैक्टेयर क्षेत्र में एक नया कार्यालय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इससे कुचामन सिटी में विकसित होने वाले समस्त सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय इस सिविक केन्द्र में स्थापित किये जायेंगे।

5.5 आमोद–प्रमोद

कुचामन में वर्तमान में खुले स्थान, खेल मैदान, मेले एवं अन्य पर्यटन सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। नगर के मध्य बस स्टैण्ड के पास नगरपालिका का उद्यान है, अन्य कोई विकसित उद्यान नहीं है। न ही कोई पिकनिक स्थल अथवा क्षेत्रीय स्तर का ऐसा स्थान है। इन्ही बिन्दुओं को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान में विभिन्न स्तरों पर ऐसे स्थल विकसित किये जाने प्रस्तावित हैं।

5.5(1) उद्यान एवं खुले स्थान

कुचामन में उद्यान एवं खुले स्थान विभिन्न स्तरों पर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। ऐसे बड़े खुले स्थल भू–उपयोग योजना में दर्शाये गये हैं। स्थानीय स्तर पर उद्यान एवं खुले स्थल आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजना बनाते समय दर्शाये जायेंगे। वर्तमान बस स्टैण्ड के स्थानान्तरित होने के बाद इस क्षेत्र को एक शहरी स्तर का खुला क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे यह क्षेत्र सिटी स्क्वायर का रूप ले सकेगा। यहां पर भूमिगत पार्किंग स्थल भी विकसित किया जा सकता है।

प्राकृतिक धरोहर संरक्षण

पुरानी आबादी के उत्तर में पहाड़ी पर स्थित किला यहां की ऐतिहासिक धरोहर है। परन्तु यह पहाड़ी वृक्ष विहीन है। इस पहाड़ी के चारों तरफ अवैध निर्माण हो रहे हैं। अतः इस पूरी पहाड़ी क्षेत्र को सघन वृक्षारोपण द्वारा सौन्दर्यीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा गणेश डूंगरी एवं अन्य छोटी पहाड़ियों पर भी वृक्षारोपण कर हरा–भरा किया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र को प्रकृति संरक्षण क्षेत्र के रूप में मास्टर प्लान में दर्शाया गया है। इसी प्रकार नमक की झील के उत्तर में नये सीकर बाईपास के बीच के क्षेत्र को भी प्रकृति संरक्षण जोन में शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में वृक्षारोपण, वन एवं तत्सम्बन्धित उपयोग ही अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।

क्षेत्रीय उद्यान (रीजनल पार्क)

कुचामन सिटी के दक्षिण में मेगा हाईवे चौराहा से डाइट तक हाईवे के पश्चिम में एक पहाड़ी है, जिसका कुछ भाग वन विभाग के पास है। इस पहाड़ी के साथ खाली पड़ी भूमि पर क्षेत्रीय स्तर का मनोरंजन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में दिया गया है। इस पार्क में हिरण, बच्चों के झूले, एनीकट, वृक्षारोपण एवं अन्य सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं, जहाँ पर लोग पिकनिक या पर्यटन के लिये जा सकेंगे।

5.5(2) स्टेडियम एवं खेल मैदान

कुछ ही समय पूर्व अजमेर रोड पर खारड़ा क्षेत्र में एक नया स्टेडियम निर्मित किया गया है, परन्तु यह बहुत छोटा है तथा इसके अन्दर क्रिकेट, हाकी, फुटबाल जैसे खेलों का आयोजन किया जाना सम्भव नहीं है। इसका निर्माण अभी अधूरा है। इस स्थिति में वर्तमान स्टेडियम को शामिल करते हुये 10 हैक्टेयर क्षेत्र में स्टेड़ियम के विस्तार एवं खुले मैदान का प्रस्ताव इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि यहां पर क्रिकेट, हाकी, फुटबाल जैसे आउटडोर खेलों की सुविधा एवं बैडमिन्टन, टेबल टेनिस जैसे इन्डोर खेलों की सुविधा विकसित की जायेगी। यहां पर खेल संकुल भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5.5(3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की सुविधाएं जिसमें म्यूजियम, आर्ट गैलरी, योगिक केन्द्र, सिनेमा जैसे उपयोग शामिल है के लिये स्थल प्रस्तावित शहरी केन्द्रों एवं सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर आवासीय योजना बनाते समय भी ऐसे स्थलों का प्रावधान किया जायेगा।

5.5(4) मेले एवं पर्यटन सुविधाएं

कुचामन में प्रमुख मेला ईदगाह, चारभुजा मन्दिर, बालाजी मन्दिर, भैरव तालाब, शाकम्भरी माता का मन्दिर आदि स्थलों पर आयोजित होता है। इन सभी स्थलों पर उपलब्ध खाली भूमि को यथावत रखते हुये पास में उपलब्ध कुछ अतिरिक्त भूमि को भी भविष्य में विकास के लिये प्रस्तावित

किया गया है।

इन स्थानों पर खुले स्थल उपलब्ध है अतः मास्टर प्लान में इन स्थलों को विकसित कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। कुछ पुरानी हवेलियों को भी पुरातत्वीय स्मारक के रूप में चिन्हित कर उनके पुनः विकास का कार्य किया जा सकता है। इससे इन स्मारकों के संरक्षण के साथ ही पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

यहां का किला ऊँची पहाड़ी पर सैकड़ों वर्ष से अड़िग खड़ा है। किले में अनेक दर्शनीय स्थल एवं वस्तुएं हैं, परन्तु इसमें जाने का मार्ग अभी ठीक नहीं है। इस सड़क का उचित निर्माण कर इस किले को पर्यटकों के लिये और सुविधाजनक बनाया जाना आवश्यक है। सम्पूर्ण किला का पहाड़ी क्षेत्र, गणेश डूंगरी एवं शाकम्भरी माता पहाड़ी को प्राकृति संरक्षण क्षेत्र के रूप में ही प्रस्तावित किया गया है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

कुचामन सिटी के निवासियों एवं क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप लोगों को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सार्वजनिक सुविधाएं जैसे– शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल, सामुदायिक भवन, जनोपयोगी सुविधाओं के प्रावधान मास्टर प्लान में विभिन्न क्षेत्रों में "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भू–उपयोग" के अन्तर्गत पर्याप्त स्थल, भू–उपयोग मानचित्र में दर्शाये गये हैं। इन सुविधाओं के लिये कुल 240.65 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है जो नगरीकरण योग्य क्षेत्र का 11.94 प्रतिशत होगा।

5.6(1) शैक्षणिक

कुचामन सिटी में शैक्षणिक सुविधाओं का निचले स्तर पर विकास नहीं हो सका है। सरकारी नीति के अनुसार शिक्षा का अधिकतम विकास करना आवश्यक है। इसी आधार पर यहां पर क्षितिज वर्ष के लिये शैक्षणिक आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। निम्न तालिका–16 में वर्ष 2031 की शैक्षणिक संरचना का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका–16

प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना कुचामन–2031

क्र.सं.	विद्यालय स्तर	आयु वर्ग	विद्यालयों में जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	अनुमानित विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (1 से 5)	5-10	17,550	53
2.	उच्च प्राथमिक (6 से 8)	11-13	8,450	25
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9 से 12)	14-17	13,500	34
	योग		**39500**	**112**

भू–उपयोग योजना में प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिये अलग से स्थल प्रस्तावित नहीं किये गये हैं। परन्तु आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजना बनाते समय इनका प्रावधान किया जायेगा।

कुचामन का वर्तमान स्वरूप एक शैक्षणिक नगर के रूप में स्थापित हो चुका है। इसके इस स्वरूप को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से शैक्षणिक सुविधाओं के लिये मास्टर प्लान में अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। अजमेर रोड पर शाकम्भरी माता पहाड़ी के नीचे विकसित हो रहे शैक्षणिक केन्द्र को भविष्य में अधिक विस्तृत किया जाना प्रस्तावित है। मेगा हाईवे के दोनों तरफ वर्तमान शैक्षणिक संस्थानों को समायोजित करते हुये करीब 120 हैक्टेयर भूमि इस प्रयोजनार्थ मास्टर प्लान में प्रस्तावित की गयी है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र एवं इससे सम्बन्धित उपयोग जैसे– छात्रावास, खेल परिसर, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, पुस्तकालय आदि सुविधाएं भी विकसित की जा सकती हैं।

5.6(2) चिकित्सा

कुचामन में चिकित्सा सम्बन्धी विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान कराने की दृष्टि से सीकर बाईपास रोड पर 9 हैक्टेयर भूमि पर सिटी स्तर का एक चिकित्सालय प्रस्तावित किया गया है।

सिटी चिकित्सालय के अतिरिक्त प्रत्येक योजना क्षेत्र में भी स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी आदि सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के लिये प्रस्तावित स्थल में विकसित किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर ऐसे उपयोगों के लिये विस्तृत आवासीय योजनाओं में भी स्थल निर्धारित किये जा सकते हैं।

5.6(3) सामाजिक/सांस्कृतिक

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु विवाह स्थल, प्रदर्शनी स्थल, अप्पू घर, सार्वजनिक भवन जैसी सुविधाओं का प्रावधान शहरी एवं निचले स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इन सुविधाओं के लिये मास्टर प्लान में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु पर्याप्त स्थल दर्शाये गये हैं।

5.6(4) धार्मिक स्थल/ऐतिहासिक

धार्मिक स्थलों जैसे– मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा इत्यादि स्थलों को यथावत रखा गया है तथा इनके आस–पास उपलब्ध अतिरिक्त खुला क्षेत्र प्रस्तावित है। ऐतिहासिक स्थलों के आस–पास के क्षेत्र को विकसित किया जाना, जिसमें सड़कों का वृहदीकरण, पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराना इत्यादि प्रस्तावित है। भविष्य में नये धार्मिक स्थलों को आवासीय क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों की सहमति एवं जिला प्रशासन की स्वीकृति से विकसित किया जा सकता है।

5.6(5) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

अन्य सभी सामुदायिक सुविधाओं जैसे– ड़ाक–तार घर, पुलिस थाने, दूरभाष केन्द्र, धर्मशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, टाउन हॉल, विवाह समारोह स्थल आदि प्रत्येक योजना

क्षेत्र में मानक स्तरों एवं जनसंख्या के आधार पर विस्तृत ले–आउट प्लान तैयार करते समय प्रस्तावित किये जायेंगे। उक्त सुविधाएं भू–उपयोग मानचित्र में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत अन्य सामुदायिक सुविधाएं हेतु प्रस्तावित भू–उपयोग में स्थापित की जा सकेगी।

5.6(6) जनोपयोगी सुविधाएं

जनोपयोगी सुविधाओं में जलापूर्ति, जल–मल निस्तारण व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था शामिल है। कुचामन सिटी के निवासियों के जीवन यापन की गुणवत्ता जनपयोगी सुविधाओं के प्रावधानों की गुणवत्ता स्तर पर निर्भर करती है। अतः ये व्यवस्थाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। तथापि वर्तमान शहरी प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिताओं की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण विभाग एवं नगरपालिका का दायित्व है। मास्टर प्लान सम्बन्धित विभागों को योजना तैयार करने के लिये भू–उपयोग मानचित्र के रूप में आधारभूत रूपरेखा एवं नगर नियोजन के मानक स्तर प्रदत्त करता है।

5.6(6)अ जलापूर्ति

कुचामन सिटी की जलापूर्ति का वर्तमान स्त्रोत भू–गर्भीय जल है। गुणवत्ता की दृष्टि से उपलब्ध जल स्वच्छ जल की श्रेणी में आता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षो से अत्यधिक दोहन होने के कारण भू–गर्भीय जल का स्तर नीचे जा चुका है।

उपरोक्त स्थिति के चलते कुचामन सिटी की जलापूर्ति के लिये वैकल्पिक जल स्त्रोत की व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस संदर्भ में नागौर लिफ्ट जल आपूर्ति योजना द्वितीय चरण काफी समय से राज्य सरकार के पास क्रियान्वयन हेतु विचाराधीन है। अतः इस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रस्तावित है साथ ही वर्तमान पाईप लाईन नेटवर्क में जो पाईप लाईन 30 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी है उन्हें बदलना प्रस्तावित है। कुचामन में वर्तमान जल आपूर्ति को और सक्षम किया जाना आवश्यक है।

5.6(6)ब जल–मल निकास

वर्तमान में कुचामन सिटी में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा कुचामन जैसे शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने के लिये जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन लाया गया है। कुचामन सिटी के लिये सीवरेज योजना, सलाहकार सेवाओं के माध्यम से जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत बनाया जाकर क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इससे शहर के वातावरण में सुधार होगा एवं स्वच्छता में वृद्धि होगी।

ठोस कचरा प्रबंधन

वर्तमान में कुचामन सिटी में ठोस कचरा प्रबंधन की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है। अतः भविष्य के लिये नगरपालिका के माध्यम से वैज्ञानिक प्रद्धति से ठोस कचरा प्रबन्धन की योजना

तैयार करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत कचरा वर्गीकरण, कचरा पुनर्चक्रण एव कचरे से खाद बनाये जाने जैसे कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके साथ ही ठोस कचरा निस्तारण स्थल का वैज्ञानिक पद्धति से निर्माण कर कचरा निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी योजना को जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत शीघ्र बनाकर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

5.6(6)स विद्युत

कुचामन सिटी में वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति 132 एवं 220 KV के सबग्रिड स्टेशन के माध्यम से की जा रही है। यह आपूर्ति व्यवस्था कुचामन सिटी के लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिए कुचामन में एक और सबग्रिड स्टेशन हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। विद्युत वितरण व्यवस्था में भी सुधार किया जाना आवश्यक है तथा शहर को नियमित विद्युत आपूर्ति किया जाना आवश्यक है। इससे लोगों को शहर में रहने में कष्ट नहीं होगा तथा उद्योगों को भी पर्याप्त बिजली मिल सकेगी।

5.6(6)द श्मशान एवं कब्रिस्तान

सभी वर्तमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत बनाये रखना प्रस्तावित है जबकि भविष्य के संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भूमि का प्रावधान परिधि नियंत्रण पट्टी में किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 परिसंचरण

5.7(1) प्रस्तावित यातायात संरचना

किसी भी शहर की कार्य–कुशलता (Operational efficiency) उस शहर की परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करती है, जबकि परिवहन व्यवस्था की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह नागरिकों को शहर के विभिन्न स्थलों/सुविधाओं तक कितनी आसानी से, कितने कम समय में, कितनी कम ऊर्जा की खपत के साथ सुरक्षित माहौल में पहुंचाती है तथा विभिन्न स्थलों/सुविधाओं तक पहुँच के ये अवसर नागरिकों के विभिन्न वर्गो एवं क्षेत्रों में स्थित होने के बावजूद कितना समान अवसर प्रदान करती है।

उपरोक्त उद्देश्य के चलते परिवहन व्यवस्था एवं भू–उपयोगों को एक–दूसरे के इर्द–गिर्द भू–उपयोग मानचित्र में दर्शाये अनुसार अंकित किया गया है। इस तरह तैयार की गयी परिवहन व्यवस्था के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः

कुल मिलाकर प्रस्तावित मार्ग तंत्र इस तरह की संरचना प्रस्तुत करती है, जिससे भू–खण्ड स्तर से आरम्भ ट्रैफिक आवासीय मार्ग पर आता है तथा एकत्रित होकर आवश्यकतानुसार फीडर रोड पर फिर क्रमशः आगे मुख्य मार्ग–सैक्टर रोड, रिंग रोड से होता हुआ गन्तव्य स्थानों तक पहुंचता है। इसी तरह से गन्तव्य स्थानों से क्रमशः निचले स्तर के मार्गो पर वितरित होता हुआ भू–खण्ड स्तर तक पहुंचता है। इस तरह से बुने गये रोड नेटवर्क में शामिल विभिन्न मार्गो का

मार्गाधिकार सम्भावित यातायात की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये सड़क नेटवर्क का विवरण तालिका–17 में दर्शाया गया है:

5.7(1)अ सड़कों का मार्गाधिकार

तालिका–17

सड़कों का मार्गाधिकार, कुचामन–2031

क्र.सं.	सड़कों का प्रकार	सड़कों का न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राज्य–राजमार्ग / बाईपास	60
2.	आर्टीरीअल रोड़ (प्रमुख मार्ग)	45
3.	सब–आर्टीरीअल रोड़ (उप प्रमुख मार्ग)	30
4.	मुख्य मार्ग	24
5.	फीडर रोड	18
6.	आवासीय मार्ग	12

टिप्पणी: मास्टर प्लान प्रस्तावों में केवल क्रम संख्या 1, 2, 3 पर वर्णित मार्गो के प्रस्तावों को दर्शाया गया है। इससे निचले स्तर के मार्गो को विस्तृत ले–आउट प्लान बनाते समय दर्शाया जायेगा।

- **बाह्य सड़क**

प्रस्तावित शहरीकरण क्षेत्र के दक्षिण में अजमेर रोड से पूर्वोत्तर तक सीकर रोड की मिलाते हुये एवं आगे उत्तर / पश्चिम की तरफ डीडवाना रोड तक एक 45 मीटर चौड़ी रिंग रोड प्रस्तावित की गयी है। इस सड़क के बन जाने से अजमेर रोड एवं सीकर रोड को सीधा सम्पर्क मिल सकेगा तथा इस तरफ के वाहन शहर के अन्दर नहीं आ सकेंगे।

- **पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कोरिडोर**

भारतीय परिपेक्ष में प्रमुख सड़कों के दोनों तरफ गैर आवासीय उपयोगों के विकसित होने की प्रवृति को देखा गया है। जिसके कारण किसी भी शहर की यातायात व्यवस्था दुष्प्रभावित हो जाती है तथा आवासीय भू–खण्डों के गैर आवासीय उपयोग में परिवर्तन की मांग निरन्तर बनी रहती है।

इस प्रवृति को दृष्टिगत रखते हुये कुचामन सिटी के लिये भू–उपयोग मानचित्र में दर्शाये अनुसार एक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कोरिडोर प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव में मानचित्र में दर्शाये अनुसार मुख्य सड़क के साथ लगते हुए गैर आवासीय उपयोगों के बड़े–बड़े स्थल प्रस्तावित किये गये है साथ ही प्रमुख सड़क पर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाया जाना प्रस्तावित है। यह आशा की जाती है कि इस प्रस्ताव के चलते आवासीय भू–खण्ड़ों के गैर आवासीय उपयोग में परिवर्तन की मांग समाप्त हो सकेगी। इसके अलावा इस सड़क पर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाये जाने के कारण सभी आवासीय भू–खण्डों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँच हो सकेगी जिसके चलते व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट की

आवश्यकता एवं यातायात व्यवधान से बचा जा सकेगा।

- **अन्य**

उक्त मुख्य सड़कों के अतिरिक्त अन्य सब आर्टीरीअल मेजर रोड एवं फीडर रोड नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये है। इन सड़कों को भू–उपयोग योजना में दर्शाया गया है। उक्त सड़कों के बन जाने के बाद कुचामन शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सुगमता से पहुंचा जा सकेगा।

5.7(1)ब सड़कों का वृहदीकरण एवं सुधारीकरण

सड़कों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने पर पाया गया कि निम्न सड़कों पर यातायात भार सड़कों की यातायात क्षमता से अधिक हो रहा है। अतः इन सड़कों का वृहदीकरण/सुधार किया जाना प्रस्तावित है तथापि इन्हें चौड़ा करते समय मार्गाधिकार में आने वाले पक्के निर्माणों को कम से कम हटाया जाना प्रस्तावित हैः

- अजमेर रोड से बस स्टैण्ड होते हुये डीडवाना रोड को उप प्रमुख मार्ग के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यह सड़क वर्तमान में 100 से 60 फीट तक चौड़ी है। इसमें अनधिकृत निर्माण हटाकर इसे चौड़ा किया जा सकता है।
- बूडसू रोड को भी उप प्रमुख मार्ग के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
- टोरड़ा रोड, बालाजी रोड, दीपपुरा रोड मुख्य मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। भू–उपयोग योजना में सभी सड़कों को विभिन्न स्तरों में प्रस्तावित किया गया है।

5.7(1)स चौराहों का सुधार

चौराहों की वर्तमान ज्यामितीय के अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया कि लगभग सभी चौराहों की रोड ज्यामितीय में सुधार की आवश्यकता है। अतः मास्टर प्लान प्रस्ताव के तहत तदानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में निम्न चौराहों का विकास कार्यक्रम तुरन्त लिया जाना प्रस्तावित हैः

i. बस स्टैण्ड चौराहा
ii. डीडवाना रोड–बूडसू रोड चौराहा
iii. विनायक काम्पलेक्स चौराहा
iv. अनाज मण्डी रोड–अजमेर रोड चौराहा
v. मेगा हाईवे चौराहा

5.7(1)द पार्किंग व्यवस्था

वर्तमान में कुचामन सिटी में पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते ट्रक, बस, अन्य वाहन अव्यवस्थित रूप से पूरे शहर में इधर–उधर खड़े रहते है। जिसके फलस्वरूप वाहनों का आवागमन प्रभावित होता है। इस संदर्भ में स्थिति सबसे ज्यादा शहरों के अन्दरूनी भागों, विशेषकर वर्तमान बस स्टैण्ड के आस–पास खराब रहती है। अतः एक ओर बस स्टैण्ड को वर्तमान स्थल से हटाया जाकर सुव्यवस्थित रूप से अन्यत्र समुचित पार्किंग व्यवस्था के साथ स्थापित जाना

प्रस्तावित है। साथ ही एक नया ट्रक टर्मिनल बनाया जाना प्रस्तावित है जहाँ पर शहर में विभिन्न स्थानों पर खड़े ट्रकों के पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त भवन विनियम 2000 के अन्तर्गत भवन स्तर पर निर्धारित पार्किंग व्यवस्था को लागू किया जायेगा जिसके चलते सड़कों पर अनियंत्रित ढंग से वाहनों के खड़े होने को रोका जा सकेगा। वर्तमान बस स्टैण्ड को सिटी स्क्वायर के रूप में विकसित करते समय योजना में भूमिगत पार्किंग की भी व्यवस्था की जा सकती है।

5.7(2) **बस एवं ट्रक टर्मिनल**

वर्तमान में कुचामन में बस टर्मिनल हेतु कोई समुचित स्थल उपलब्ध नहीं है जिसके चलते शहर के पुराने इलाके में नगरपालिका के सामने चौराहा से लगते हुये क्षेत्र में बसें अनियंत्रित ढंग से बिखरे रूप में खड़ी रहती है। पास ही सब्जी मार्केट एवं अन्य खुदरा बाजार स्थित हैं साथ ही आवागमन के लिये उपलब्ध सड़कों की चौड़ाई अपर्याप्त है। बस यात्रियों के लिये पार्किंग, विश्रामालय इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर चहुँ–ओर असुविधा एवं अव्यवस्था का माहौल है। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 148 बसें तथा निजी एजेन्सियों की 98 बसें यहां से संचालित की जाती है। इस स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् वर्तमान बस स्टैण्ड को इस स्थान से हटाया जाकर 8 हैक्टेयर क्षेत्र में दक्षिण में नये सीकर बाईपास रोड पर एक नया आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस टर्मिनल प्रस्तावित किया गया है। इसके अन्तर्गत बसों के पार्किंग व्यवस्था के साथ यात्री वाहनों के लिये भी पार्किंग व्यवस्था होगी।

उल्लेखीय है कि वर्तमान बस स्टैण्ड के हटाये जाने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि पर एक सिटी स्क्वायर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में कुचामन सिटी में कोई सुव्यवस्थित ट्रक टर्मिनल उपलब्ध नहीं है। जिसके चलते शहर में आने वाले ट्रक विभिन्न स्थानों पर खड़े रहते हैं तथा ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ते है अतः 11 हैक्टेयर भूमि पर मेगा हाईवे पर एक ट्रक टर्मिनल विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे– रिपेयर शॉप, ट्रांसपोर्ट एजेन्सी, होटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि का प्रावधान होगा।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी

प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ एक परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गयी है। परिधि नियंत्रण पट्टी का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सुनियोजित एवं एकीकृत नगरीय विकास सुनिश्चित करना है ताकि आधारभूत ढांचे का उपयोग अधिकतम किया जा सके और इन संसाधनों पर व्यय किये गये धन का पूरा उपयोग हो सकें एवं कृषि योग्य भूमि का अनावश्यक ह्रास न हो तथा वर्तमान में परिधि नियंत्रण पट्टी के रूप में सुरक्षित क्षेत्र भविष्य के शहरी विकास के लिये उपलब्ध हो सके। उपरोक्त उद्देश्यों के चलते परिधि नियंत्रण पट्टी में केवल निम्न भू–उपयोग ही अनुज्ञेय हैं।

कृषि आधारित भू–उपयोग जैसे– डेयरी, फलोद्यान, कुक्कुट शाला, गौशाला, ग्रामीण आबादी विस्तार, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, अन्य कृषि आधारित लघु उद्योग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार देय होगी। साथ ही परिधि नियंत्रण पट्टी में रिसोर्ट एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में अन्य समकक्ष उपयोग देय होंगे। कुल मिलाकर समूचे परिधि नियंत्रण पट्टी के ग्रामीण स्वरूप को बनाये रखा जायेगा।

5.8(1) **ग्रामीण आबादी क्षेत्र**

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में यह निर्णय लिया गया है कि सभी ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के लिये शहरी क्षेत्रों की भांति मास्टर प्लान बनाये जायेंगे। उक्त निर्णय के क्रम में परिधि नियंत्रण पट्टी की ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

6

योजना का क्रियान्वयन

6.1 वर्तमान आधार

मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अध्याय–II में दिया गया है, परन्तु मास्टर प्लान बनाये जाने के बाद मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस संस्था की होगी, प्रक्रिया क्या होगी एवं संसाधनों की व्यवस्था कहाँ से होगी? इसका उल्लेख किसी भी नियम, उपनियम अथवा किसी अन्य प्रकार से कहीं भी नहीं किया गया है।

मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु वर्तमान प्रक्रिया के चलते मास्टर प्लान दस्तावेज के अन्तर्गत केवल कुचामन सिटी के नगरीय क्षेत्र का भू–उपयोग मानचित्र बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि भू–उपयोग मानचित्र अकेले किसी भी नगर के विकास के लिये पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं कराता है। नगरीय विकास के लिये भू–उपयोग मानचित्र के अनुक्रम में अनेक सहयोगी मानचित्र यथा जल वितरण नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क, ड्रेनेज नेटवर्क, ठोस कचरा प्रबन्धन प्लान तथा भू–उपयोग मानचित्र के क्रमवार निचले स्तर के विस्तृत मानचित्र (ले–आउट स्तर) यथा जोनल प्लान, सेक्टर प्लान, नेबरहुड प्लान, विभिन्न भू–उपयोगों के योजना प्लान इत्यादि क्रियान्वयन योजना (Phasing Plan) बनाये जाने आवश्यक है।

ले–आउट स्तर की योजना तैयार करने के पश्चात् क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिशील एवं पारदर्शी बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये मास्टर प्लान के अन्तर्गत बनाये गये मानचित्रों एवं रिपोर्ट के अनुक्रम में विकास नियंत्रण नियम (Development Control Rules), जोनिंग रेग्युलेशन एवं प्लानिंग नार्मस भी मास्टर प्लान दस्तावेजों के साथ बनाये जाने आवश्यक हैं।

उपरोक्त के पश्चात् मास्टर प्लान प्रस्ताव को छोटी–छोटी योजनाओं एवं प्रोजेक्ट्स में विभाजित कर क्रियान्वयन के लिये उनका क्रम निर्धारित कर योजनाओं के लिये क्रियान्वयन मॉडल यथा BOT, BOOT, LPRD, Affordable Housing इत्यादि का चयन कर प्रत्येक योजना/प्रोजक्ट् के लिये अपेक्षित संस्था का चयन किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत शहर की समस्त आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य अनेक राजकीय विभागों में बटा हुआ है। यथा जल वितरण एवं सीवरेज व्यवस्था के लिये जन स्वास्थ्य अभ्यांत्रिकी विभाग, बिजली के लिये राज्य विद्युत वितरण निगम, स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा के लिये शिक्षा विभाग इत्यादि उत्तरदायी बनाये गये हैं। इन सभी

विभागों के पास अपने स्वतंत्र कार्यक्रम एवं प्राथमिकताएं होती हैं तथा वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत इनका मास्टर प्लान में किये गये प्रस्तावों से कोई तालमेल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों एवं उद्देश्यों की पूर्ति की सम्भावना नगण्य हो जाती है।

पिछले कुछ दशकों से भूमि आवाप्ति की प्रक्रिया काफी कठिन हो गयी है, जबकि वर्तमान मास्टर प्लान यह मानकर तैयार किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त नगरीयकरण योग्य भूमि का त्वरित अधिग्रहण किया जा सकेगा। यह सोच अब समय की परिस्थितियों पर खरी नहीं उतरती, जिसके चलते मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की सम्भावना काफी कम हो जाती है।

उपरोक्त वर्णित सारी व्यवस्थाओं के करने के बाद भी जब तक क्रियान्वयन के लिये उपयुक्त तकनीकी एवं प्रशासनिक जन शक्ति (Manpower) उपलब्ध न हो क्रियान्वयन का कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सकता। वर्तमान व्यवस्था में शहरी स्वायत संस्थाओं जिनकी जिम्मेदारी मास्टर प्लान दस्तावेज के क्रियान्वयन की है के पास समुचित जन शक्ति उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में बनाये जा रहे मास्टर प्लानों का क्रियान्वयन सम्भव नहीं है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि अभी तक राजस्थान में 60-70 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान बनाये जा चुके है परन्तु किसी भी मास्टर प्लान का यथोचित क्रियान्वयन नहीं किया जा सका हैं। यथा वर्तमान व्यवस्था मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित कमियों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिये समुचित व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा नियोजित विकास का स्वप्न अधूरा ही रहेगा।

6.2 प्रस्तावित आधार

योजना क्रियान्वयन के वर्तमान आधार के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिये एक ऐसी संस्था का गठन किये जाने की आवश्यकता है जो मास्टर प्लान क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं यथा तकनीकी, प्रशासनिक, अभियांत्रिकी, वित्त, विधि इत्यादि को समझने की पर्याप्त क्षमता रखती हो। संस्था के पास (1) उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा में तकनीकी, प्रशासनिक, विधिक, वित्तीय मानव शक्ति उपलब्ध हो। (2) ज्ञान एवं उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हो एवं (3) सभी पहलुओं पर निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र एवं आत्म निर्भर हो। राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका कुचामन सिटी को उक्त परिपेक्ष में सुदृढ़ किया जाये ताकि मास्टर प्लान का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके।

6.3 जनसहभागिता एवं जन सहयोग

शहर का विकास अंततः जनता के सहयोग एवं सहभागिता पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए शहर की जनता का पूर्ण सहयोग स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकता है इसलिए यह आवश्यक है कि शहर की जनता मास्टर प्लान में

प्रस्तावित कार्यक्रमों को राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायो द्वारा लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

कुचामन सिटी के नये मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोगो को सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को ध्यान में रखते हुये तैयार किया गया है। मास्टर प्लान में सामान्य भू–उपयोग के रूप में ही दर्शाया गया है। भू–उपयोग निश्चित करना एक जटिल प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा उक्त कार्य को मूर्त रूप देना पड़ता है। यह भी संभव है कि पूर्व में हुए कुछ भू–उपयोग परिवर्तन तथा स्वीकृति प्रकरण सहवन से छूट सकते है, अतः उनकी जानकारी होने पर समयोजित माना जायेगा।

मुख्यतयः प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं यथा– शिक्षा, चिकित्सा, सड़के, खुले स्थल एवं जनोपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाये, जिससे शहर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959

अध्याय द्वितीय

मास्टर प्लान

3– राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्तिः

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होगें, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4– मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है,सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाय तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोन की सुधार योजनाएं तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5– अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने के पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमो द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आंमत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित हैं, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अम्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अम्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6— मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव ीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्ति अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान **पूर्वोक्त नोटिस** के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 page 118.]

In exercise of the power conferrd by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959)] the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement:-

(1) These may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

(1) "Act" means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).

(2) "Turst" means a Trust as constituted under the Act,

(3) "Section" means a Section of the Act,

(4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (1):-

[1]["(1) The draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office fo the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area invition suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master Plan ¡ithin a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more

persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan][2].

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together ¡ith a copy of the Drafer Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating the area included in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following Maps, Plans and Documents, namely:-

a. Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.

b. Base map showing the General existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

c. Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

d. Written analysis and ¡ritten statement to support the proposals.

e. Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fir or the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6:-

[1][(1) After considering the objection, suggestions and representations ¡hich may be received by the Officer or the Authority appointed under Section3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 of the Act finalise the Master Plan and submit the same [2][if constituted] to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day."]

परिशिष्ट – 2(अ)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(192)नविवि/3/09 जयपुर, दिनांकः 13.01.10

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को कुचामन सिटी के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील नॉवा जिला नागौर के निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः

क.स.	**ग्राम का नाम**
1-	कुचामन सिटी
2-	आसपुरा
3-	उगरपुरा
4-	भंवरपुरा
5-	श्रवणपुरा
6-	जसराणा (मेगा हाईवे के पश्चिम में एक किलोमीटर तक का क्षेत्र)
7-	रूपपुरा (मेगा हाईवे के पश्चिम में एक किलोमीटर तक का क्षेत्र)
8-	टोरड़ा (मेगा हाईवे के पश्चिम में एक किलोमीटर तक का क्षेत्र)
9-	पनवाड़ी
10-	त्रिसिंगिया
11-	खारिया
12-	हरित नगर
13-	दीपपुरा

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0/–
शासन उप सचिव

परिशिष्ट – 2(ब)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(192)नविवि/3/09 जयपुर,दिनांकः 31.08.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 35, 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद द्वारा इस विभाग की पूर्व प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक प.10(192)नविवि/3/09 जयपुर, दिनांकः 13.01.10 की निरंतरता में कुचामन सिटी के प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में निम्न राजस्व ग्राम सम्मिलित करती है।

क्र.सं.	**राजस्व ग्राम**	**तहसील**	**जिला**
1-	सरगोठ	नॉवा	नागौर

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0/–
शासन उप सचिव

परिशिष्ट –3

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(182)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक : 1 मई, 2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत ये नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.1.2011 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 31.08.12 के द्वारा यथा अधिसूचित कुचामनसिटी (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है।

लाडनूं मास्टर प्लान –2031 की प्रति का निरीक्षण नगर पालिका, कुचामनसिटी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्य पाल की आज्ञा से

ह0/–

(प्रकाश चन्द शर्मा)

शासन उप सचिव–प्रथम